रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062022-236596 CG-DL-E-15062022-236596

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] No. 428] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 14, 2022/ज्येष्ठ 24, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 14, 2022/JYAISTHA 24, 1944

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2022

सा.का.िन. 449 (अ).—अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) की धारा 106 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, अंतर्देशीय जलयान (बीमा, सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं के दायित्व और देयता की परिसीमा) नियम, 2022 के प्रारूप, भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा0का0िन0 150(अ), तारीख 23 फरवरी, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अविध की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां, जनता को 23 फरवरी, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है :

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 की धारा 106 की उपधारा (2) के खंड (यथ) से खंड (यय) के साथ पठित धारा 59, धारा 64 की उपधारा (5), धारा 68 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 73,

4010 GI/2022 (1)

धारा 80, धारा 81, धारा 82 की उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3), धारा 98 की उपधारा (1) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंतर्देशीय जलयान (बीमा, सेवा प्रदाताओं और सेवा उपयोगकर्ताओं के दायित्व और देयता की परिसीमा) नियम, 2022 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) "अधिनियम" से अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, (2021) (2021 का 24) अभिप्रेत है;
 - (ख) "दुर्घटना" से अंतर्देशीय जल के भीतर या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित जल के भीतर अंतर्देशीय जलयान से संबंधित कोई दुर्घटना अभिप्रेत है ;
 - (ग) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;
 - (घ) "बीमा कंपनी" से वह बीमा कंपनी अभिप्रेत है, जिसके साथ यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान का सुसंगत अवधि के लिए बीमा किया गया था ;
 - (ङ) "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा, जो बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (क) में है और इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित बीमा के कारबार में लगी हुई कोई विदेशी कंपनी भी सम्मिलित है ;
 - (च) "विधिक प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खंड (11) में है ;
 - (छ) "समुद्री बीमा" का वही अर्थ होगा, जो समुद्री बीमा अधिनियम, 1963 (1963 का 11) की धारा 3 और धारा 4 में है ;
 - (ज) "वारंटी" से अभिव्यक्ति या विवक्षित कोई निबंधन या शर्त अभिप्रेत है, जिसके द्वारा बीमाकृत व्यक्ति यह वचन देता है कि किसी विशिष्ट कार्य पर कार्रवाई की जाएगी या उस पर कार्रवाई करने से प्रविरत रहेगा अथवा यह कि कोई शर्त पूरी की जाएगी या तथ्यों की किसी विशिष्ट स्थिति के अस्तित्व की पुष्टि या नकारा जाएगा ; और यह कि ऐसे निबंधन या शर्त, चाहे वह जोखिम के लिए महत्वपूर्ण हो या नहीं, का पूर्णरूप से पालन किया जाएगा।
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में उनके हैं।

अध्याय 2-यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान का बीमा

- 3. क्षितिपूर्ति करने का कर्तव्य.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अध्याय 12 के अधीन और इस नियम के अनुपालन में बीमा का प्रमाणपत्र जारी करने वाला बीमाकर्ता, उस दायित्व के संबंध में, जिसे पॉलिसी में शामिल किया गया है, पॉलिसी में यथा विनिर्दिष्ट बीमाधारक या किसी व्यक्ति की क्षितिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) जहां किसी तीसरे पक्षकार द्वारा किसी दावे के संबंध में बीमाधारक का दायित्व उत्पन्न होता है, बीमाधारक की क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमाकर्ता का तत्संबंधी दायित्व वह रकम होगी, जो ऐसे दायित्व के संबंध में तीसरे पक्षकार को बीमाधारक द्वारा संदत्त या संदेय होगी।
- (3) जब तक बीमा पॉलिसी में अन्यथा उपबंध नहीं किया जाता है और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यदि ऐसे नुकसान की कुल राशि बीमा राशि से अधिक होती है, तो बीमाकर्ता लगातार नुकसान के लिए उत्तरदायी है।

- 4. बीमाधारक के कर्तव्य.- (1) बीमा की संविदा सद्भाव के सिद्धांत पर आधारित होगी और यदि दूसरा पक्षकार सद्भाव के सिद्धांत का पालन करने में असफल साबित होता है, तो बीमा संविदा का कोई भी पक्षकार अपने दायित्वों से बच सकता है।
- (2) बीमाधारक, बीमाकर्ता को प्रत्येक तात्विक परिस्थिति का प्रकटन करेगा, जो बीमाधारक के ज्ञान में और व्यवसाय के सामान्य अनुक्रम में होती है।
- (3) बीमाधारक को सभी तात्विक विशिष्टियों का ज्ञान होना माना जाता है और इस तरह के प्रकटीकरण की विफलता प्रमाणित होने पर, बीमाकर्ता को बीमा की संविदा से परिवर्जन करने का हक होगा।
- स्पष्टीकरण- उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए, तात्विक परिस्थितियों में ऐसी कोई भी परिस्थिति शामिल होगी, जो एक विवेकपूर्ण बीमाकर्ता के विवेक का प्रयोग करते हुए बीमाधारक द्वारा मांगे गए जोखिम को ऐसे बीमाकर्ता द्वारा आवृत किए जाने और प्रीमियम निर्धारित करने के निर्णय को प्रभावित करेगी।
- (4) इस नियम में किसी अन्य बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, यह माना जाएगा कि बीमाकर्ता को उन मामलों का ज्ञान है, जो किसी बीमाकर्ता को अपने कारबार के सामान्य अनुक्रम में जानना चाहिए।
- **5. कवर नोट.-** (1) नियम 7 के अधीन बीमा के प्रमाणपत्र का जारी किया जाना लंबित होने पर प्राधिकृत बीमाकर्ता कवर नोट जारी कर सकेगा और कवर नोट में प्ररूप संख्या 1 में यथा उपबंधित अर्न्तवस्तुएं होंगी।
- (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई कवर नोट, इसके जारी होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के लिए वैध होगा और निबंधनों और शर्तों के समाधान के अधीन होगा, बीमाकर्ता कवर नोट की समाप्ति की तारीख से पहले बीमा पॉलिसी जारी करेगा।
- 6. **बीमा पॉलिसी और बीमा प्रमाणपत्र.-** (1) अधिनियम की बीमा पॉलिसी अधिनियम की धारा 66 के उपबंधों के अनुसार लेखबद्ध करते हुए अवनत की जाएगी और जब तक ऐसी संविदा समुद्री नीति में शामिल नहीं की जाती है, इसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (2) कोई प्राधिकृत बीमाकर्ता, बीमा पॉलिसी के प्रत्येक धारक को बीमा का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा और जिसमें बीमा के ऐसे प्रमाणपत्र में बीमाकृत जलयान के संबंध में प्ररूप संख्या 2 में यथा उपबंधित विशिष्टियां शामिल होंगी।
- (3) पॉलिसी संविदा किए जाने के समय या तत्पश्चात् निष्पादित और जारी की जा सकेगी।
- 7. कवर नोट और बीमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति.- अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन में और इन नियमों के अधीन किसी बीमाकर्ता द्वारा जारी बीमा का प्रत्येक प्रमाणपत्र या कवर नोट को ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया जाएगा जो इस संबंध में ऐसे बीमाकर्ता द्वारा विशिष्टतया प्राधिकृत है।
- 8. वारंटी.- (1) कोई भी वारंटी, जिसे अभिव्यक्त वारंटी समझा जाना आवश्यक है, उसे लिखित रूप में पॉलिसी में शामिल किया जाएगा।
 - (2) यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान की सुरक्षा, संरक्षा और उपयुक्तता के संबंध में किसी भी आशयित यात्रा या उद्देश्य में संलग्न होने या नियोजित करने के लिए वारंटी, एक विवक्षित वारंटी होगी जो इस प्रकार के जलयान की यात्रा या संचालन के प्रारंभ में और जहां बीमा पॉलिसी संलग्न है, उत्पन्न होती है।
- 9. **बीमा की अवधि.-** (1) जहां कवर नोट जारी जारी किया गया हैवहां बीमा की अवधि को कवर नोट के जारी , होने की तारीख से आरंभ माना जाएगा, और यदि कवर नोट जारी नहीं किया जाता है, तो बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति से प्रीमियम प्राप्त करने की तारीख से आरंभ माना जाएगा; और ऐसा बीमा उस तारीख तक वैध रहेगा जिस तारीख को कवर नोट रद्द कर दिया गया है या बीमा समाप्त हो गया है या समय के साथ समाप्त हो गया है; इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो:

परन्तु, जहां कवर नोट रद्द कर दिया जाता है और प्राधिकृत बीमाकर्ता या बीमाधारक बीमा के संविदा को जारी न रखने का निर्णय करता है; बीमा की शर्तों को कवर नोट के रद्द होने की तारीख को समाप्त समझा जाएगा।

- (2) उप-नियम (1) के प्रयोजन के लिए, जब तक कि बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच अन्यथा सहमित न हो, प्रीमियम का भुगतान करने के लिए पॉलिसीधारक का कर्तव्य और पॉलिसीधारक को बीमे की पॉलिसी या प्रमाणपत्र जारी करने के लिए बीमाकर्ता का कर्तव्य समवर्ती रूप से क्रियाशील होगा।
- (3) बीमा की अधिकतम अवधि बारह मास की होगी।
- (4) किन्ही अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, बीमाकर्ता का दायित्व किसी तीसरे पक्ष के जोखिम या दावों के संबंध में बीमाधारक की क्षतिपूर्ति करना है, जो बीमा के विद्यमान रहते हुए उत्पन्न हुआ है और इसमें बीमा पॉलिसी शामिल है; उस समय तक वैध बनी रहेगी जब तक पॉलिसी समय की क्रियाशीलता या संविदात्मक खंडों के कारण समाप्त नहीं हो जाती है।
- 10. निरीक्षण.- एक यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान ऐसे निरीक्षकों की जिनके अधिकारक्षेत्र में यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान स्थित या अवस्थित है, ऐसे जलयान के स्वामी या चालक या मास्टर को, ऐसे जलयान के बोर्ड पर ले जाए गए बीमे के प्रमाणपत्र की विधिमान्य प्रति को, प्रस्तुत करना अपेक्षित हो सकेगा।
- 11. निरोध.- (1) कोई भी अंतर्देशीय जलयान बिना किसी विधिमान्य बीमा प्रमाण-पत्र के अंतर्देशीय जल में चलता हुआ पाए जाने पर, नियम 10 के अधीन कार्य करने वाले किसी प्राधिकृत अधिकारी या निरीक्षकों द्वारा उसे तत्काल प्रभाव से रोक लिया जाएगा।
 - (2) इस तरह के निरोध के समय, यदि कोई हो, अधिकारियों द्वारा जलयान को रोकने और बनाए रखने में खर्च की गई लागत; जलयान के मालिक या उसकी संपत्ति पर जोड़ी जाएगी।
 - (3) उप-नियम (1) के अंतर्गत रोके गए किसी भी जलयान को किसी भी प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा अधिनियम के अंतर्गत जारी किए गए बीमा या कवर नोट के विधिमान्य प्रमाणपत्र और इस नियम के उप-नियम (2) में उल्लिखित लागत के संतोषजनक भुगतान पर छोड़ा जाएगा।
- 12. बीमा पॉलिसी का अन्तरण.- (1) किसी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित किये जाने पर जलयान को आवृत करने वाली बीमा की विद्यमान पॉलिसी, अंतर्देशीय जलयान के स्वामित्व के अन्तरण की तारीख से स्वचालित रूप से अंतरिती को अन्तरित मानी जाएगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन यथा उपबंधित अन्तरण के मामले में अन्तरिती, उस तारीख से जिसको अन्तरण जलयान के रिजस्ट्रीकरण में प्रभावी या रिकोर्ड किया गया है, पंद्रह दिनों के भीतर यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान के अन्तरण के ब्यौरे अन्तरण की तारीख पर, पूर्व स्वामी और विद्यमान बीमा पॉलिसी की संख्या तथा तारीख के ब्यौरे प्राधिकृत बीमाकर्ता जिसको विद्यमान पॉलिसी जारी की गई है, को सूचित करेगा।
- (3) कोई भी प्राधिकृत बीमाकर्ता, जो इस अध्याय के अंतर्गत बीमा की नई पॉलिसी या कवर नोट जारी करने का निर्णय लेता है, अंतरिती को; इस नियम के उप-नियम (2) में उल्लिखित ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर, प्राधिकृत बीमाकर्ता द्वारा बनाए गए आधिकारिक रिकॉर्ड में ऐसे परिवर्तनों को शामिल करके परिवर्तनों को प्रभावित करेगा।
- (4) प्राधिकृत बीमाकर्ता, जिसने अधिनियम की धारा 66 के अधीन उपबंधित खतरों के विरुद्ध किसी भी यंत्रचालित अन्तर्देशीय जलयान को बीमा कवरेज प्रदान करने का दायित्व लिया है; अधिनियम के अनुपालन में उस अंतरिती को बीमा का प्रमाणपत्र और बीमा की पॉलिसी जारी करेगा जिसने जलयान का स्वामित्व प्राप्त कर लिया है।
- (5) इस अधिनियम और इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, एक बार अन्तरित होने के पश्चात् बीमा की किसी भी पॉलिसी को नई पॉलिसी माना जाएगा, और, मामले के अनुसार, बीमा और पॉलिसी के नए प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से पिछली पॉलिसी को रद्द और अमान्य माना जाएगा।
- 13. विज्ञापन सामग्री का अपवर्जन.- अधिनियम और इस अध्याय के अंतर्गत जारी किए गए बीमा या कवर नोट के किसी भी प्रमाणपत्र में सामने या पीछे कोई विज्ञापन सामग्री नहीं होगी।

14.

प्रत्युद्धरण से परे खोए, नष्ट या विकृत बीमा प्रमाणपत्र.- (1) जहां पॉलिसी धारक-

- (क) एक प्राधिकृत बीमाकर्ता को अधिसूचना देता है जिसमें वह घोषणा करता है कि ऐसे बीमाकर्ता द्वारा उसे जारी किया गया बीमा प्रमाणपत्र खो गया है, नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है, प्रत्युद्धरण से परे है और प्रमाणपत्र के खो जाने या क्षतिग्रस्त से जुड़ी परिस्थितियों और इसे खोजने के लिए किए गए प्रयास का पुरा विवरण देता है :
- (ख) प्राधिकृत बीमाकर्ता को ऐसे बीमाकर्ता द्वारा जारी किया गया बीमा का प्रमाणपत्र विकृत स्थिति में लौटाता है; ऐसी स्थिति में प्राधिकृत बीमाकर्ता उसके बदले में "दो प्रतियों में मूल" शब्द के साथ बीमा का एक प्रतिलिपि प्रमाणपत्र जारी करेगा, जिसमें इस आशय को प्रमुखता से पृष्ठांकित किया गया हो।
- (2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसार बीमा का दो प्रतियों में प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् और यह अधिसूचित किए जाने पर कि बीमा का प्रमाणपत्र खो गया है, और यदि बाद में मूल प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है, तो बीमा का मूल प्रमाणपत्र बीमाकर्ता को अभ्यर्पित किया जाएगा।
- 15. सूचना की रिपोर्ट करना.- केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी से निर्देश या अनुरोध प्राप्त होने पर; सूचना या ऐसे अन्य विवरण प्रदान करने के लिए; इस अध्याय के उपबंधों के अंतर्गत दस्तावेजों के रिकॉर्ड बनाए रखने वाला कोई भी व्यक्ति, प्राधिकरण या बीमाकर्ता, बिना किसी शुल्क या प्रभार के ऐसी सूचना प्रदान करेगा।
- 16. निर्णयों और पंचाटो को संतुष्ट करने के लिए बीमाकर्ताओं का कर्तव्य.- (1) यदि, इस अध्याय के अंतर्गत उस व्यक्ति के पक्ष में जिसके द्वारा एक पॉलिसी ली गई है, बीमा प्रमाणपत्र जारी किए जाने के पश्चात्, और यदि किसी ऐसे दायित्व के संबंध में कोई निर्णय या पंचाट जिसे पॉलिसी द्वारा आवृत किया जाना आवश्यक है, इस अध्याय में यथा उल्लिखित, पॉलिसी द्वारा बीमित किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त किया जाता है, फिर भी, इस बात के होते हुए भी कि बीमाकर्ता पॉलिसी से बचने या रद्द करने का पात्र हो सकता है या हो सकता है कि उसने पॉलिसी को टाला या रद्द किया हो, बीमाकर्ता इस नियम के उपबंधों के अधीन पात्र व्यक्ति को निर्णय के लाभ की राशि का उस सीमा तक भुगतान करेगा, जो देय बीमा राशि से अधिक न हो, जैसे कि वह दायित्व के संबंध में देनदार था, साथ में लागत के संबंध में देय किसी भी राशि और अधिनियम के आधार पर किसी भी राशि के साथ निर्णयों पर उस राशि पर देय ब्याज से संबंधित किसी भी ब्याज का भुगतान करेगा।
 - (2) किसी भी निर्णय या पंचाट के संबंध में उप-नियम (1) के अंतर्गत किसी भी अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी, जब तक कि कार्यवाही शुरू होने से पहले, जिसमें निर्णय या पंचाट दिया जाता है, बीमाकर्ता को ऐसी कार्यवाही का, न्यायालय के माध्यम से या, जैसी भी स्थिति हो; दावा या कार्यवाही करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत न्यायालय द्वारा अधिसूचना दी गई हो, या ऐसे निर्णय या पंचाट के संबंध में जब तक कि एक अपील लंबित रहने तक निष्पादन पर रोक लगा दी जाती है; और एक बीमाकर्ता जिसे ऐसी कोई कार्यवाही करने की सूचना इस प्रकार पहुँचाई गई है, वह एक पक्ष बनने और निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर कार्रवाई का बचाव करने का पात्र होगा, अर्थातु:-
 - (क) कि पॉलिसी की एक निर्दिष्ट शर्त का उल्लंघन किया गया है, जो यंत्रचालित जलयान के उपयोग से भिन्न एक शर्त है, या
 - (ख) किराये या इनाम के लिए, जहां यंत्रचालित जलयान यात्रा के शुरू होने पर चलने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया था।
 - (3) जहां उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कोई भी निर्णय एक पारस्परिक देश के एक न्यायालय से प्राप्त किया जाता है और एक विदेशी निर्णय के मामले में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम संख्या 5) की धारा 13 के उपबंधों के आधार पर होता है, उसके द्वारा न्यायनिर्णित किसी भी मामले के लिए निर्णायक, बीमाकर्ता बीमा अधिनियम, 1938 (1938 के अधिनियम संख्या 4) के अंतर्गत रिजस्ट्रीकृत एक बीमाकर्ता होने के नाते और चाहे वह इसके अंतर्गत रिजस्ट्रीकृत हो या नहीं पारस्परिक देश के संबंधित कानून उप-नियम (1) में निर्दिष्ट तरीके और

सीमा तक निर्णय के लाभ के पात्र व्यक्ति के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, जैसे कि निर्णय भारत के एक न्यायालय द्वारा दिया गया हो:

परन्तु, ऐसे किसी भी निर्णय के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा कोई राशि देय नहीं होगी, जब तक कि उस कार्यवाही के आरंभ होने से पहले, जिसमें निर्णय दिया जाता है, बीमाकर्ता को संबंधित न्यायालय के माध्यम से कार्यवाही के आरंभ के संबंध में नोटिस दिया गया था और, जिस बीमाकर्ता को नोटिस दिया गया है, वह पारस्परिक देश के संबंधित कानून के अंतर्गत कार्यवाही के लिए एक पक्ष बनाने और उप-नियम (2) में निर्दिष्ट आधारों के आधार पर कार्रवाई के बचाव करने का पात्र है।

- (4) जहां इस अध्याय या अधिनियम के उपबंधों के अधीन बीमा प्रमाणपत्र जारी किया गया है और बीमा के ऐसे प्रमाणपत्र में, यदि ऐसी कोई शर्त है जो अधिनियम की धारा 66 के अनुपालन में जोखिम को कवर करने के लिए बीमाकर्ता की देयता प्रदान नहीं करती है। उपरोक्त उप-नियम (2) के खंड (बी) के अलावा अन्य कारणों से; बीमा प्रमाणपत्र में ऐसी शर्त या शर्तें कोई प्रभाव नहीं डालेगी:
- 17. प्रत्यासन का अधिकार.- जहां बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति की देयता की क्षतिपूर्ति करता है, ऐसे बीमाकर्ता बीमाधारक के हित को उस सीमा तक ग्रहण करने का पात्र होगा, जहां तक बीमाधारक की क्षतिपूर्ति की गई है; और बीमाकृत विषय वस्तु के संबंध में बीमाधारक के अधिकार और प्रतिकार बीमाकर्ता को सौंपे जाते हैं।
- 18. बीमाकर्ताओं और बीमित व्यक्तियों के बीच समझौता.- (1) अधिनियम की धारा 66 में निर्दिष्ट प्रकृति की किसी देयता के संबंध में दावेदार द्वारा किए गए किसी दावे के संबंध में बीमाकर्ता द्वारा किया गया कोई समझौता तब तक मान्य नहीं होगा, जब तक कि ऐसा दावेदार निपटान का पक्षकार न हो।
 - (2) जहां अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की गई पॉलिसी के अधीन यदि बीमित व्यक्ति दिवालिया हो गया है, या जहां, यदि ऐसा बीमित व्यक्ति एक कंपनी है, तो एक समापन आदेश किया गया है या कंपनी के संबंध में स्वैच्छिक समापन के लिए एक संकल्प किया गया है, अथवा पारित किया गया है, बीमाकर्ता और बीमित व्यक्ति के बीच उपगत दावेदारों के लिए दायित्व के पश्चात् और दिवाला या समापन के शुरू होने के पश्चात्, जैसी भी स्थिति हो, कोई समझौता नहीं किया गया है, और न ही पूर्वोक्त प्रारंभ के बाद बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी छूट, असाइनमेंट या अन्य निपटान या भुगतान इस नियम के अंतर्गत दावेदार को हस्तांतरित अधिकारों को पराजित के लिए प्रभावी होंगे, लेकिन वे अधिकार उसके समान होंगे जैसे कि ऐसा कोई समझौता नहीं है, छूट, असाइनमेंट या भुगतान किया गया है।
- 19. **बीमित व्यक्ति के दिवालियेपन पर दावेदारों के अधिकार**.- (1) जब इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार बीमा का कोई संविदा किया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति का अधिनियम की धारा 66 में यथा उपबंधित अनुसार जोखिम या दायित्वों के लिए बीमा किया जाता है, जो दावेदारों के लिए है, ऐसी स्थिति में-
 - (क) व्यक्ति के दिवालिया होने या अपने लेनदारों के साथ एक करार या व्यवस्था करने की स्थिति में,
 - (ख) जहां बीमाकृत व्यक्ति एक कंपनी है, कंपनी के संबंध में या कंपनी के व्यवसाय या उपक्रम के एक रिसीवर या प्रबंधक के संबंध में एक समापन आदेश या स्वैच्छिक समापन के लिए एक प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में, सम्यक् रूप से नियुक्त किया जा रहा है, या किसी भी डिबेंचरधारक द्वारा या उनकी ओर से कब्जा लिया जा रहा है, जो किसी भी संपत्ति के अस्थायी प्रभार द्वारा सुरक्षित है या प्रभार के अधीन है, बीमाकृत व्यक्ति द्वारा उपगत दायित्व और दायित्व के संबंध में संविदा के अधीन बीमाकर्ता के विरुद्ध उसके अधिकार, विधि के किसी भी उपबंधों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय या इस अधिनियम के अंतर्गत, जिसके लिए दायित्व इस प्रकार वहन किया गया था, इसके अंतर्गत आवृत दावेदारों को स्थानांतरित और निहित किया जाएगा।
 - (2) जहां एक मृत देनदार की संपत्ति के प्रशासन के लिए दिवाला विधि के अनुसार एक आदेश दिया जाता है, तो यदि इस अध्याय या अधिनियम के अंतर्गत दिवालिएपन में किसी दावेदार के दायित्व के संबंध में, मृतक द्वारा आवृत किए गए दावों के लिए कोई ऋण बकाया है; जिसके लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बीमा के ऐसी संविदा के अंतर्गत उसका बीमा किया गया था; तो उस दायित्व के संबंध में बीमाकर्ता के प्रति मृत देनदार के अधिकार,

7

विधि के किसी उपबंधों के प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उस व्यक्ति को स्थानांतरित हो जाएंगे और उस व्यक्ति में निहित हो जाएंगे. जिसका ऋण बकाया है।

- (3) अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या इस अध्याय के अंतर्गत जारी की गई पॉलिसी में कोई भी शर्त, जो या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पॉलिसी से बचने के लिए अथवा बीमित व्यक्ति के साथ उप-नियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी भी घटना के होने पर या दिवालिया कानून के अनुसार मृत देनदार की संपत्ति के प्रशासन के लिए आदेश देने पर, पक्षों के अधिकारों को बदलने के लिए है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
- (4) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अधीन अन्तरण पर, बीमाकर्ता अधिनियम या इस अध्याय के अंतर्गत आवृत किए गए दावेदारों के लिए उसी दायित्व के अधीन होगा, जैसा कि वह बीमित व्यक्ति के लिए होता।
- 20. दिवालियेपन से देनदारी प्रभावित नहीं होगी.- जहां उस व्यक्ति को बीमा का प्रमाणपत्र जारी किया गया है जिसके द्वारा पॉलिसी ली गई है, जिसके बाद वह दिवालिया या शोधाक्षम हो जाता है; तो, इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 66 में निर्दिष्ट दावों की प्रकृति के संबंध में बीमाधारक और अधिकृत बीमाकर्ता की देयता बनी रहेगी:

परन्तु, इस नियम में कुछ भी, अधिकृत बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति के क्षतिपूर्ति के अधिकारों या अधिकृत बीमाकर्ता के विरुद्ध सीधे कार्रवाई करने के दावेदारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा; जिसने अधिनियम के अध्याय 12 के उपबंधों में निष्पादित बीमा अनुबंध के आधार पर बीमित व्यक्ति का दायित्व लिया है।

- 21. बीमा के विशिष्टियां और बीमित व्यक्ति की स्थिति के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य -
- (1) जिस व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के अंतर्गत संदर्भित किसी भी दायित्व के संबंध में दावा किया गया है, दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जोखिम या कवरेज की सीमा सहित बीमा की विशिष्टियां और ब्यौरे का उल्लेख करेगा, और उसी तरह से, जैसा कि बीमा की ऐसी पॉलिसी द्वारा कवर किया गया है।
- (2) किसी व्यक्ति के दिवालिया होने या अपने लेनदारों के साथ समझौता या व्यवस्था करने की स्थिति में या दिवालिया कानून के अनुसार मृत व्यक्ति की संपत्ति के प्रशासन के लिए आदेश दिए जाने की स्थिति में या नियम 20 में उपबंधित परिस्थितियों में, किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर यह दावा करने के लिए कि दिवालिया देनदार, मृत देनदार या कंपनी, उसके प्रति ऐसी देनदारी के अधीन है, अधिनियम के उपबंधों द्वारा निर्दिष्ट अनुसार, ऐसी जानकारी देना उस दिवालिया देनदार, मृतक देनदार या कंपनी का व्यक्तिगत प्रतिनिधि, जैसा भी मामला हो, या आधिकारिक समनुदेशिती या दिवाला में प्रापक, ट्रस्टी, परिसमापक, प्रापक या प्रबंधक, या संपत्ति रखने वाले व्यक्ति का कर्तव्य होगा, जो यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या कोई अधिकार उसे हस्तांतरित किया गया है और उसमें निहित है, और ऐसे अधिकारों को लागू करने के उद्देश्य से, यदि कोई हो, उसके द्वारा उचित रूप से आवश्यक हो सकती है; और बीमा का ऐसा कोई भी अनुबंध, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से बचने या पक्षों के अधिकारों को बदलने के लिए, पूर्वोक्त घटनाओं में ऐसी जानकारी देने पर, या अन्यथा उक्त घटनाओं में इसे देने पर रोक लगाने या रोकने के लिए है, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा।
- (3) इन नियमों द्वारा आरोपित सूचना देने कर्तव्य में इस अधिनियम या भारत में लागू ऐसे अन्य विधियों के अधीन ऐसा व्यक्ति जिस पर यह शुल्क लगाया गया है, के कब्जे या शक्ति में बीमा के सभी संविदाओं, प्रीमियम की रसीदें, और ऐसे अन्य सुसंगत दस्तावेजों तक पहुंच की अनुमति देने का कर्तव्य शामिल होगा।

अध्याय 3 - दायित्व और सीमाएं - प्रक्रियाएं

- 22. दायित्व की सीमाएं.- उन व्यक्तियों के अधिकार जो किसी भी विशिष्ट अवसर पर यात्री दावों सहित दावों के संबंध में अधिनियम की धारा 64 के अधीन दायित्व को सीमित करने के हकदार हैं, इन नियम से संलग्न अनुसूची के अनुसार लागू होंगे।
- 23. अधिकार को सीमित करने के आचरण.- दायी व्यक्ति, अपने दायित्व को परिसीमित करने का हकदार तब नहीं होगा जब तब यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि हानि, ऐसी हानि कारित करने के आशय से या लापरवाही से और यह जानते हुए कि ऐसी हानि संभाव्य रूप से उसके कार्य का परिणाम है, किए व्यैक्तिक कार्य या लोप से हुई है।

- 24. परिसीमा निधि.— (1) कोई भी व्यक्ति जो देयता को सीमित करने का पात्र है और जिसके विरुद्ध दावा रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वह अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (6) के अनुसार एक निधि का गठन कर सकता है।
- (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत गठित निधि नियम, 23 के अधीन विहित दायित्व की सीमा के बराबर होगी और इसमें ऐसी किसी भी घटना की तारीख से न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा निधि के गठन की तारीख तक अभिकथित दायित्व पर लागू ब्याज शामिल होगा, जिसने कार्रवाई के कारण को उत्पन्न किया।
- (3) अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (1) के अधीन प्रगणित दावों के भुगतान के लिए उप-नियम (1) के अंतर्गत गठित सीमा निधि उपलब्ध कराई जाएगी।
- (4) नियम 23 के अधीन, कोई भी व्यक्ति, जो सीमित देयता का हकदार है, या तो राशि जमा करके या न्यायालय द्वारा निर्धारित वित्तीय गारंटी प्रस्तुत करके निधि का गठन कर सकता है।
- (5) इस नियम के प्रयोजनों के लिए, बीमाकर्ता सहित देयता को सीमित करने के पात्र व्यक्तियों द्वारा गठित किसी भी निधि को किसी या सभी व्यक्तियों द्वारा गठित माना जाएगा जिनके विरुद्ध अभिकथित दावे दाखिल किए गए हैं।
- 25. परिसीमा निधि का संवितरण.- (1) दावों के न्यायनिर्णयन पर, न्यायालय ऐसे दावों के अनुपात में, दावेदारों के बीच नियम 24 के अनुसार गठित सीमा निधि का वितरण कर सकती है।
 - (2) उप-नियम (1) के अंतर्गत प्रदान की गई निधि का संवितरण करते समय, अदालत देय के रूप में निर्धारित राशि को; जैसा वह उचित और उपयुक्त समझे, उत्तरदायी व्यक्तियों या बीमाकर्ता द्वारा दावेदारों को किए गए भुगतान, यदि कोई हो, तो उसे निधि के गठन से पहले रोक सकती है।
 - (3) जिन दावों के लिए ऐसी निधि का गठन किया गया है, उनके लिए निधि के संतोषजनक संवितरण के पश्चात्, जिन व्यक्तियों ने निधि का गठन किया है, वे शेष राशि या निधि में शेष राशि की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।
 - (4) उप-नियम (3) के प्रयोजनों के लिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसने सीमा निधि का गठन किया है, अतिरिक्त राशि का दावा करने का पात्र है और; ऐसा व्यक्ति शेष राशि की प्रतिपूर्ति के लिए, संबंधित अदालत में आवेदन कर सकता है, जिसके समक्ष सीमा निधि का गठन किया गया है।
 - (5) उप-नियम (4) के अंतर्गत निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति पर, और जिसके लिए निधि का गठन किया गया है उन दावों के संतोषजनक भुगतान के पश्चात् संबंधित न्यायालय अधिक पाई जाने वाली किसी भी राशि को जारी कर सकती है।
 - (6) उप-नियम (5) में किसी भी बात के होते हुए भी, अदालत ऐसे दावों के विरुद्ध राशि को अपने पास रख सकती है, जिसे उसकी राय में, भविष्य के उन लाभार्थियों या दावेदारों के लिए रखना आवश्यक है, जो निधि के गठन पश्चात्, अपने ऐसे दावों को प्रस्तुत कर सके; जिसके लिए निधि का गठन किया गया है:

परन्तु न्यायालय दावों की संतुष्टि से अधिक पाई गई अवशिष्ट राशि को ऐसे दावों के अंतिम निपटान या न्यायनिर्णयन की तारीख से बारह महीने से अधिक समय तक अपने पास नहीं रखेगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति जिसने निधि का गठन किया है या दावों के विरुद्ध प्राप्त होने वाली निधि या राशि का दावा करने में विफल रहता हैं; ऐसी अतिरिक्त राशि अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत गठित विकास निधि या अधिनियम की धारा 96 के अंतर्गत गठित कल्याण कोष या दोनों में ऐसे अनुपात में जमा की जाएगी, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा उचित समझे जाएं; जिनके क्षेत्राधिकार में निधि का गठन किया गया है।

अध्याय 4 - व्यापार चलन के नियम या विनियम

26. **संविदा के न्यूनतम निबंधन.-** (1) प्रत्येक सेवा प्रदाता अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगत संविदात्मक निबंधनों को अंतर्विष्ट करेगा और अन्य के साथ निम्नलिखित को निर्धारित करेगा;

- (क) सेवा प्रदाता सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करेगा;
- (ख) बीमा जिसमें वैधता, विस्तार और अन्य के ब्यौरे शामिल है ;
- (ग) यात्रियों या कार्गो की ढुलाई के संबंध में प्रतिबंध, यदि कोई हो; और
- (घ) ऐसी अन्य शर्तें जो केंद्रीय सरकार द्वारा अंतर्विष्ट की जा सकती हैं।
 - (2) प्रत्येक सेवा उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता के समक्ष अन्य बातो के साथ निम्नलिखित का प्रकटीकरण करेगा-
- (क) सेवा प्रदाता द्वारा यात्रियों के संबंध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी जलयान द्वारा ले जाने या सौंपे जाने के लिए माल या सामान की वास्तविक प्रकृति;
- (ख) माल किसी भी खतरे से मुक्त है और अंतर्देशीय जलयान पर परिवहन या भंडारण के आशयित रूप में ले जाने के लिए सुरक्षित है;
- (ग) माल को अधिनियम और इस नियम के अनुसार पैक, लेबल और चिह्नित किया जाता है; और
- (घ) ऐसे अन्य मामले जो अधिनियम या इस नियम के अधीन अपेक्षित हैं।
- 27. खतरनाक सामान और निषिद्ध कार्गो का वर्गीकरण.- (1) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर अंतर्देशीय जलयानों पर खतरनाक माल या सामान के सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए दिशानिर्देश या निर्देश जारी करेगा।
 - (2) खतरनाक माल की ढुलाई करने वाले सभी सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि खतरनाक माल इस नियम के उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुपालन में रखा और ले जाया जाता है।
 - (3) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी, सामान्य आदेश द्वारा, समय-समय पर, खतरनाक सामानों की सूची, उनके वर्गीकरण, यात्रियों की ढुलाई और अलगाव के साथ संगतता, उनके सुरक्षित भंडारण के दिशा-निर्देशों सहित, प्रकाशित कर सकता है। अंतर्देशीय जलयानों पर परिवहन और खतरनाक माल या सामान को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जाएगा;
 - (क) ज्वलनशील तरल
 - (ख) ज्वलनशील ठोस पदार्थ
 - (ग) ऑक्सीकरण पदार्थ
 - (घ) विषाक्त पदार्थ
 - (ङ) संक्षारक पदार्थ
 - (च) विस्फोटक
 - (छ) अविषाक्त लेकिन ज्वलनशील गैस
 - (ज) विषाक्त लेकिन अज्वलनशील गैस
 - (झ) ऐसी अन्य सामग्री, जिसे खतरनाक माल या खतरनाक सामान के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, चाहे उसका रूप या प्रकृति कुछ भी हो।
- (4) उप-नियम (1) में उपबंधित खतरनाक सामानों के सुरक्षित भंडारण और परिवहन के लिए; केंद्रीय सरकार उप-नियम (3) में उल्लिखित खतरनाक सामानों को यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों के निम्न वर्ग या श्रेणी द्वारा ले जाने के लिए वर्गीकृत कर सकती है, जिनका निम्नलिखित में उपयोग किया जाता है-
 - (क) केवल माल ले जाना, भंडारित या परिवहन करना,

- (ख) केवल यात्रियों को ले जाना या परिवहन करना, जिसमें यात्रियों के साथ सामान के रूप में माल ले जाया जाता है और.
- (ग) यात्रियों और कार्गो को ले जाना, भंडारित या परिवहन करना।
- (5) सभी सेवा प्रदाता इस नियम के अनुपालन के बारे में जानकारी को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके पर्याप्त जानकारी प्रदान करेंगे।
- (6) कोई भी सेवा प्रदाता जो इस नियम के उल्लंघन में खतरनाक सामान ले जाते हुए पाया जाता है, उसे अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन दंडित किया जा सकता है।
- 28. प्रतिषिद्ध सामान या माल (कार्गो).- (1) केंद्रीय सरकार या ऐसा प्राधिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय-समय पर, ऐसे माल या कार्गो की निम्नलिखित श्रेणी के अंतर्गत सूची जारी कर सकते हैं, जो अंतर्देशीय जलयानों को ले जाने से प्रतिबंधित है-
 - (क) ज्वलनशील सामान जो स्वतः दहनशील पदार्थ हैं,
 - (ख) विषाक्त पदार्थ जो प्रकृति में संक्रामक हैं,
 - (ग) रेडियोधर्मी पदार्थ या कचरे सहित रेडियोधर्मी सामग्री युक्त कोई यौगिक,
 - (घ) अंतर्देशीय जल में फेंके जाने के इरादे से कार्गो के रूप में ले जाया गया अपशिष्ट, और
 - (ङ) ऐसी अन्य सामग्री, चाहे उसका रूप या प्रकृति कुछ भी हो, जिसे निषिद्ध माल या कार्गो के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है।
 - (2) कोई भी सेवा प्रदाता जो प्रतिषिद्ध माल या कार्गो ले जाते हुए पाया जाता है, उसे अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन दंडित किया जाएगा।
- 29. खतरनाक सामान या खतरनाक कार्गों के लिए श्रेणी लेबल के प्रदर्शन की पैकिंग, लेबलिंग और रिति.- (1) सेवा उपयोगकर्ता सेवा प्रदाता के समक्ष खतरनाक माल या खतरनाक सामान की प्रकृति को प्रकट करेगा और खतरनाक माल या खतरनाक कार्गों के वर्ग को अंतर्देशीय जलमार्ग, केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी द्वारा अनुमोदित और जारी किये गये खतरनाक माल या खतरनाक कार्गों के सुरक्षित परिवहन के निर्देशों के अनुपालन में पैक, लेबल और प्रदर्शित करेगा।
 - (2) सेवा प्रदाता की ओर से सेवा उपयोगकर्ता द्वारा प्रकृति की घोषणा, पैकिंग, लेबलिंग, मार्किंग और खतरनाक माल या खतरनाक कार्गों के वर्ग लेबल के प्रदर्शन के संबंध में ज्ञान का कोई उपधारणा की जानी चाहिए।

परन्तु सेवा प्रदाता इस नियम के उल्लंघन में सेवा उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों से उत्पन्न परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- (3) उप-नियम (2) में किसी भी बात के होते हुए भी, सेवा प्रदाता खतरनाक माल या खतरनाक कार्गो के रूप में पैक और लेबल किए गए कार्गो का सत्यापन और निरीक्षण कर सकता है और सेवा प्रदाता से किसी भाग पर सेवा उपयोगकर्ता से किसी भी सेवा प्रदाता द्वारा इस तरह के माल या कार्गो के सत्यापन और निरीक्षण की अनुमित देगा।
- 30. गलत घोषित या अघोषित माल या कार्गो.- (1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार इस प्रकार आवंटित संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर भूमि पर अंतर्देशीय जल या ऐसे अन्य परिसर में चलते समय निरीक्षण करने या किसी जलयान की तलाशी लेने के लिए अधिकारी या प्राधिकरण को नियुक्त या अधिकृत करेगी।
 - (2) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त या अधिकृत अधिकारी सेवा उपयोगकर्ता या सेवा प्रदाता को नोटिस देकर जलयान या कार्गो का निरीक्षण करेगा।

(3) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, आपात स्थिति में या निषिद्ध कार्गो खतरनाक माल या खतरनाक कार्गो के संबंध में प्राप्त किसी सूचना की स्थिति में जो अधिनियम या इस नियम के विरुद्ध हो; निरीक्षक ऐसे यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान, या अंतर्देशीय जल में रहते हुए किसी भी जलयान या भूमि पर ऐसे परिसर में अपने निरीक्षण या यात्रा से पहले बिना किसी अधिसूचना के उस पर सवार होगा:

परन्तु किए गए किसी भी निरीक्षण को संबंधित सूचना या ऐसे अन्य कारणों के साथ नामित प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा जिसके कारण उप-नियम (2) के अंतर्गत निरीक्षण किया गया था।

- (4) अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन नियुक्त निरीक्षकों को उन्हें सौंपे गए कार्यों के संबंध में समय-समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना होगा।
- 31. उल्लंघन से ले जाए गए या परिवहन किए गए माल या कार्गों का निष्कासन, भंडारण और बिक्री.- (1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी, अंतर्देशीय जल सीमा के भीतर चलने वाले किसी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान में ले जाए, लादे गए या संग्रहीत किए गए किसी भी माल या कार्गों को हटा सकता है, या निष्कासित सकता है, जिसे अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में ले जाया जाता, लादा या संग्रहीत किया गया पाया जाता है।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन निर्दिष्ट किसी भी सामान या कार्गो को ऐसे खतरनाक माल या खतरनाक कार्गो की प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर गोदामों या ऐसी सुविधाओं में संग्रहीत किया जाएगा, जिससे ऐसे माल या कार्गो और मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित हो सके।
 - (3) खतरनाक माल या खतरनाक कार्गो को ले जाने, लादने या भंडारण के लिए जिम्मेदार मालिक या व्यक्ति ऐसे खतरनाक माल या खतरनाक कार्गो को हटाने और भंडारण शुल्क के लिए किए गए खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (4) यदि मालिक या कोई भी व्यक्ति जो ऐसे माल को ले जाने, लदान या भंडारण के लिए जिम्मेदार है, मांग के बाद एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने में किए गए खर्च का भुगतान करने की उपेक्षा करता है, तो जलयान के मालिक को दूसरी बार और एक सप्ताह बीतने पश्चात् अधिसूचित किया जाएगा। दूसरा नोटिस जारी होने के एक सप्ताह के पश्चात्, यदि मांग की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो इस प्रकार हटाए गए कार्गों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और अधिकृत या नियुक्त अधिकारी बिक्री की आय को इस तरह के हटाने, भंडारण और बिक्री के सभी खर्चों को अपने पास रख सकता है।
 - (5) यदि नियुक्त या अधिकृत अधिकारी द्वारा बरामद खतरनाक माल या खतरनाक कार्गो नहीं बिकता है, तो ऐसे कार्गो को इस तरह से रखा जाएगा और जमा किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर निर्देश दे और राज्य सरकारें इसे बनाए रखने के लिए, बिक्री के खर्च के साथ, या बिना बिके भाग या सामग्री को बनाए रखने के खर्च की वसूली कर सकें।
 - (6) प्राधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किए गए खर्च और अतिरिक्त राशि की वसूली किसी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों से हटाए गए कार्गो की बिक्री आय से की जाएगी, और शेष राशि, यदि कोई हो, का उस भुगतान व्यक्ति को किया जाएगा, जो बरामद कार्गो का अधिकारी है, अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है और शेष राशि का दावा नहीं करता है; ऐसी शेष राशि पश्चात् में उस पर कार्गो के स्वामित्व का अधिकार स्थापित करने वाले व्यक्ति को भुगतान के लिए बिना ब्याज के जमा रखी जाएगी।
 - (7) बिक्री की तारीख से छह महीने से अधिक देर से किए जाने वाले किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और किसी भी प्राधिकृत या नियुक्त अधिकारी द्वारा इसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 - (8) छह महीने की अविध के बाद, उप नियम के अंतर्गत जमा की गई दावा नहीं की गई राशि को अधिनियम की धारा 86 के अंतर्गत गठित विकास निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

- (9) जहां जलयान या कार्गों की बिक्री से होनेवाली आय खर्च और अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है; अधिकृत या नियुक्त अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर उस कमी का भुगतान करने के लिए जलयान के मालिक या परिचालक उत्तरदायी होंगे; और यदि कमी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी मांग की तारीख से एक महीने के भीतर; अधिकृत या नियुक्त अधिकारी, ऐसे मालिक (मालिकों) या जलयान या कार्गो या दोनों के परिचालक (परिचालकों) से पूर्वोक्त कमी की वसूली कर सकता है, जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया हो और ऐसा बकाया ऐसे मालिक (मालिकों) या जलयान या कार्गो परिचालक (परिचालकों) अथवा दोनों की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूली योग्य होगा।
- 32. प्रतिषिद्ध कार्गो या माल की जब्ती और अभिरक्षा.- (1) इस अध्याय के प्रयोजन के लिए नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी किसी भी माल या सामान को हटा सकता है, या निष्कासित और जब्त कर सकता है; जिसके निषिद्ध माल या सामान की सूची में आने का संदेह है और अंतर्देशीय जल सीमा के भीतर चलने वाले किसी भी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयान में ले जाया. लादा या संग्रहीत किया जाता है।
 - (2) यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि परिवहन के स्तर और निषिद्ध कार्गों की उपस्थिति जीवन, या पर्यावरण के लिए आसन्न खतरे का कारण या खतरा है, तो गलत कार्य में शामिल जलयान जांच के योग्य होगा या होंगे, और संभावित खतरों को कम करने और नियंत्रित करने के लिए, निकटता और सुरक्षा के आधार पर उसे या उन्हें रोका जाएगा और एक सुरक्षित घाट या घाटों या ऐसे अन्य स्थान पर रखा जाएगा।
 - (3) निषिद्ध कार्गो या माल को ले जाने, लदान या भंडारण करने के लिए जिम्मेदार स्वामी या व्यक्ति ऐसे कार्गो और जलयान के हटाने और भंडारण शुल्क के लिए किए गए वास्तविक खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

परन्तु सेवा प्रदाता इस नियम के उल्लंघन में सेवा उपयोगकर्ता द्वारा किए गए कृत्यों से उत्पन्न परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- (4) इस नियम के उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के अंतर्गत रोके या जब्त किए गए प्रतिषिद्ध कार्गो या सामान को संबंधित नामित प्राधिकारी द्वारा जल्द से जल्द सुरक्षित परिस्थितियों में और विशेष रूप से नामित सुविधाओं में नष्ट कर दिया जाएगा।
- (5) यदि मालिक या कोई भी व्यक्ति जो उसे ले जाने, लदान करने या भंडारण के लिए जिम्मेदार है, मांग किए जाने के एक सप्ताह के भीतर उसे हटाने, भंडारण, निरोध या निपटान में किए गए वास्तविक खर्चों का भुगतान करने की उपेक्षा करता है, तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी बार अधिसूचित किया जाएगा और यदि दूसरी सूचना जारी होने के एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी मांग की गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो जब्त किया गया जलयान सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी बिक्री की आय से इस तरह के हटाने, निरोध या निपटान भंडारण के सभी खर्चों को अपने पास रख सकता है।
- (6) किसी यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों को हिरासत में लिए गए जलयान की बिक्री से होने वाली आय में से प्राधिकृत अधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को खर्च और अतिरिक्त राशि देय होगी, और शेष राशि का भुगतान जलयान पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को किया जाएगा या, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है और शेष राशि का दावा नहीं करता है; तो ऐसी शेष राशि, ब्याज के बिना, बाद में उस जलयान के स्वामित्व का अपना अधिकार स्थापित करने वाले व्यक्ति को भुगतान के लिए रखी जाएगी।
- (7) बिक्री की तारीख से बारह महीने से अधिक के बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे अधिकृत और नियुक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
- (8) उप-नियम (7) में यथा उपबंधित बारह महीनों के बीत जाने के बाद, बिक्री से प्राप्त राशि से वसूल की गई दावा नहीं की गई या बची हुई राशि, नामित प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी, और ऐसी निधि, संबंधित

राज्य सरकार द्वारा, जैसा वह उचित समझे, अधिनियम की धारा 86 या धारा 96 के अंतर्गत गठित निधि में अंतरित किया जाएगा।

- (9) जहां जलयान की बिक्री से प्राप्त आय खर्च और अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए अपर्याप्त पाई जाती है; इस नियम के अंतर्गत जिम्मेदार पाए जाने वाले जलयान के मालिक, मांग किए जाने पर अधिकृत या नियुक्त अधिकारी को कम राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; और यदि ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसी मांग की तारीख से एक महीने के भीतर, ऐसी राशि वसूली योग्य होगी जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया हो और ऐसा बकाया जलयान के मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूली योग्य होगा।
- इस नियम के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी, यदि किसी यांत्रिक रूप से चालित अंतर्देशीय जलयान पर ले जाया, लादा या संग्रहीत किए जाने वाले निषिद्ध माल या कार्गो को वितरित करने की जिम्मेदारी है; ऐसे माल या कार्गो के मालिक पर निहित है, ऐसा व्यक्ति ऐसे माल या कार्गो के निष्कासन, भंडारण, अवरोधन या निपटान किए गए खर्चों और अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा और ऐसे खर्च वसुली योग्य होंगे जैसे कि यह भूमि राजस्व का बकाया हो और ऐसा बकाया कार्गों के ऐसे मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूली योग्य होगा:

परन्तु उस स्थिति में यदि जलयान और निषिद्ध माल या कार्गो दोनों के मालिक या परिचालक ऐसे माल या कार्गो को ले जाने, लदान या संग्रहीत करने के लिए उत्तरदायी पाए जाते हैं; तो ऐसे व्यक्ति अपराध करने के अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त रूप से और गंभीर रूप से उत्तरदायी होंगे और ऐसे माल या कार्गो को हटाने, भंडारण, अभिरक्षा या निपटान के खर्च और अतिरिक्त खर्चों को पूरा करेंगे, और ऐसे खर्च वसूली योग्य होंगे जैसे कि यह एक भू-राजस्व का बकाया हो और इस तरह का बकाया जलयान या कार्गो के ऐसे मालिक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूली योग्य होगा।

- कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) में सभी या किसी भी स्थिति के उल्लंघन में कार्य करता है, तो (11)अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन दंडनीय होगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्देश.- सक्षम प्राधिकारी अंतर्देशीय जल के भीतर पाए जाने वाले किसी भी यंत्रचालित 33. अन्तर्देशीय जलयान से इस नियम के अंतर्गत उपबंधित खतरनाक और निषिद्ध कार्गो या माल की सुरक्षित अभिरक्षा और निपटान के बारे में निर्देश प्रदान करेगा।
- प्रमाणपत्र का निरस्तीकरण और निलंबन या अनुमोदन.- इस अध्याय का अनुपालन न करने के लिए किसी सेवा 34. प्रदाता के विरुद्ध जांच या खोज शुरू होने की स्थिति में, राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किए गए किसी भी प्रमाणपत्र को निलंबित या निरस्त या अनुमोदित कर सकती है।
- **गैर कानूनी कार्य न करने का दायित्व.-** (1) जब तक अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से छूट नहीं दी जाती है; निम्नलिखित में से कोई भी या सभी कार्य इसके द्वारा अवैध घोषित किए जाते हैं; और सेवा प्रदाताओं, सेवा उपयोगकर्ताओं या जलयानों या कार्गो या यात्री टर्मिनल के संचालन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल कोई अन्य व्यक्ति: इस अध्याय में उल्लिखित अपनेअपने दायित्वों का सदैव पालन करेगा-:
 - (क) अंतर्देशीय जलमार्ग बंदरगाहों या लैंडिंग चरणों का अवैध द्वार से यात्रियों को चढ़ाना या उतारना, उन स्थानों पर माल लादना या उतारना जो निर्धारित नहीं हैं;
 - (ख अंतर्देशीय जलमार्ग नौपरिवहन कार्यों को नष्ट करना;
 - (ग) अंतर्देशीय जलमार्ग नौपरिवहन में बाधा डालने के लिए अवैध अवरोध खड़े करना;
 - (घ) अंतर्देशीय जलमार्ग के बुनियादी ढांचे के संरक्षण के उल्लंघन में अंतर्देशीय जलमार्गों पर घरों, टेंटों, स्टालों या अन्य का अवैध निर्माण:
 - (ङ) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित या अनुमत सीमा से अधिक यात्रियों और कार्गो के साथ जलयानों का लदान; अर्थात जलयानों का अतिरिक्त लदान;

- (च) मिट्टी, चट्टानें, रेत, बजरी या अन्य अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करना और चैनलों और चैनल संरक्षण गलियारों के क्षेत्रों में खनिजों का दोहन करना;
- (छ) अंतर्देशीय नौवहन के लिए निर्दिष्ट चैनलों में मछली पकड़ने के स्थायी यंत्र, मछली पकड़ने के साधन या जलीय संसाधनों को रखना;
- (ज) अंतर्देशीय जलयानों को बाहर निकालना जो सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं और परिचालन शर्तों को पूरा करने में भी विफल हैं;
- (झ) दुर्घटनाएं करने के बाद, जलयानों के संकट में होने पर मानव जीवन या संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी से बचने के लिए भाग जाना, उल्लंघन करना;

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए, जलयान, चालक दल या उसके यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना स्थल से बाहर जाना गैरकानूनी कार्य नहीं होगा।

- (ञ) दुर्घटनाओं का लाभ उठाकर अराजकता पैदा करना, इस प्रकार दुर्घटनाओं से निपटने में बाधा डालना;
- (ट) लहर पर सिग्नल का उल्लंघन, प्रतिबंध लगाना या अन्य प्रतिबंधित सिग्नल का उपयोग करना;
- (ठ) जब तक प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने की अनुमित न हो; अंतर्देशीय जल की सीमाओं से परे चलना;
- (ड) लागू समर्थन या मंजूरी के बिना अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित यात्रा के अनुमत क्षेत्र से परे परिचालन;
- (ढ) अंतर्देशीय जलमार्गों पर अवैध दौड़ आयोजित करना या जलयानों की अवैध दौड़ में भाग लेना;
- (ण) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन और उल्लंघन के कृत्यों को करना या करने की अनुमित देना; तथा
- (त) अन्य अधिनियम जो राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के द्वारा अधिसूचित किए जा सकते हैं।
 - (2) कोई भी व्यक्ति जो उप-नियम (1) में उपबंधित सभी या किसी भी स्थिति के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह अधिनियम की धारा 87 की उपधारा (3) के अधीन दंडनीय होगा।

अध्याय 5 – मलबा और उबार

- 36. रिपोर्ट करने की बाध्यता.- कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियुक्त किसी भी मलबे के रिसीवर के अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर स्थित मलबे को पाता है या उस पर अधिकार कर लेता है या इस तरह के किसी भी मलबे को ऐसी सीमाओं के भीतर लाता है, नियम से संलग्न प्ररूप संख्या 3 में निर्दिष्ट मलबे के रिसीवर को लिखित रूप में रिपोर्ट करेगा।
- 37. रिसीवर द्वारा सूचना देना.- नियम 36 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, मलबे का रिसीवर ऐसी जानकारी को नामित प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकरणों को सूचित करेगा, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त या अधिकृत किए जा सकते हैं; और यदि सूचना राष्ट्रीय जलमार्ग में जलयान के क्षतिग्रस्त होने, फंसे होने या संकट में होने की किसी भी घटना से संबंधित है, तो नामित प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को सूचना देगा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

परन्तु, जहां केंद्रीय सरकार ने किसी राज्य सरकार को राष्ट्रीय जलमार्गों में मलबे को प्रशासित करने के लिए निर्देश या आदेश द्वारा अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित किया हो, वहां मलबे का रिसीवर नामित प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकरणों को सूचित करेगा, जो ऐसी राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त या अधिकृत किए जा सकते हैं।

38. रिसीवर द्वारा मलबे का कब्ज़ा.- जब मलबे का एक रिसीवर, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करता है कि एक जलयान मलबा बनने के बाद, अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर अंतर्देशीय जल में डूब जाता है या फंस जाता है और अपने मालिक द्वारा छोड़ दिया जाता है; ऐसा रिसीवर मलबे के स्थान पर आगे बढ़ेगा और ऐसे जलयान पर एक लीड लाइन

लगाएगा और अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक घोषणा तैयार करेगा कि मलबे का कब्जा मलबे के रिसीवर द्वारा लिया जाता है।

15

परन्तु, यदि यह पाया जाता है कि मलबे का भौतिक कब्जा लेना व्यावहारिक नहीं है, तो मलबे का रिसीवर अधिनियम के अंतर्गत अंतर्विष्ट अनुसार इस तरह की घोषणा में भौतिक कब्जा लेने में सक्षम नहीं होने के कारण के संबंध में एक और घोषणा करेगा।

39. मलबे के संबंध में रिसीवर के कर्तव्य.- मलबे का रिसीवर मलबे का कब्जा लेने के लिए;

- (क) यदि मलबा किसी अंतर्देशीय जलयान या ऐसे जलयान के पुर्जे या संपत्ति या कार्गो का है, जो अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो, वह ऐसे नामित प्राधिकारी को जिसके अधिकार क्षेत्र में यान रजिस्ट्रीकृत है, सूचना देने के साथ लिखित में जलयान के स्वामी को भी सुचना भेजेगा।
- (ख) यदि मलबा किसी अंतर्देशीय जलयान या ऐसे जलयान के पुर्जे या संपत्ति या कार्गो का है, जो किसी अन्य देश में रिजस्ट्रीकृत है, तो सक्षम प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी को सूचित करते हुए जिसे अधिनियम की धारा 82 या उसके अंतर्गत निर्धारित नियम के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है,जलयान के मालिकों को लिखित रूप में सूचना भेजें।
- (ग) यदि जलयान का मलबा ऐसे किसी जलयान या उसके पुर्जे या संपत्ति या कार्गो का है, जो वाणिज्य पोत, परिवहन अधिनियम, 1958 या भारत में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है, तो वाणिज्य समुद्री विभाग के संबंधित प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकरण को, जिन्हें ऐसे कानूनों के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया हो, सूचित कर जलयान के मालिकों को लिखित रूप में सूचना भेजें।
- (घ) यदि जलयान, संपत्ति, भाग या स्थोरा या स्वामित्व; जो ध्वस्त पोत सामग्री का कारण बना है, पहचान योग्य नहीं है या पता लगाने योग्य नहीं है, ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर इसके कारणों को अभिलेखित करेगा और केवल पदाभिहित प्राधिकारी या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त ऐसे अन्य अधिकारियों को ध्वस्त पोत सामग्री की जानकारी भेजेगा।
- (ङ) जैसा कि उप-नियम (घ) में उपबंधित किया गया है, यदि स्वामी या जलयान अज्ञात है या पता लगाने योग्य नहीं है, तो ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर ऐसे जलयान या संपत्ति या हिस्से को ऊपर उठाने, हटाने, उड़ा देने या परिस्थितियों के अनुसार अन्यथा नष्ट करने की कार्रवाई करेगा।
- (च) ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर द्वारा संबंधित प्राधिकारियों को प्रदान की गई जानकारी में मानव जीवन के लिए खतरे का विस्तार, सुरक्षित नौपरिवहन में बाधा, पर्यावरण प्रदूषण की संभावनाएं और इसी तरह के अन्य, यदि कोई हो; विवरण शामिल होंगे और वह इन नियमों से संलग्न प्ररूप सं. 4 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (छ) ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर या उसका नियुक्त या प्राधिकृत कोई अधिकारी, अनुरक्षित शासकीय रजिस्टर में ध्वस्त पोत सामग्री का पता लगाने, चिह्नित करने, वसूली या निपटान की घटनाओं को अभिलेखित करेगा और संबंधित राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा।
- (ज) यदि ध्वस्त पोत सामग्री के किसी रिसीवर द्वारा बरामद कोई संपत्ति अदावाकृत है या दावा करने वाला व्यक्ति ध्वस्त पोत सामग्री के संरक्षण के लिए किए गए उचित व्ययों और ऐसे खर्चों की रकम के पच्चीस प्रतिशत की अतिरिक्त रकम का भुगतान करने में विफल रहता है; तो ऐसे जलयान या संपत्ति या भाग को लोक नीलामी द्वारा विक्रय के लिए रखा जा सकता है;
 - (i) तत्काल यदि संपत्ति खराब होने वाली प्रकृति की है;
- (ii) यदि यह खराब होने वाली प्रकृति का नहीं है, तो इसकी वसूली के बाद किसी भी समय जो दो महीने से कम न हो।

- **40. नौपरिवहन में बाधा.-** (1) ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर किसी भी लकड़ी, बेड़े या अन्य संपत्ति को हटा सकता है, या हटाने की कोशिश कर सकता है, जो अंतर्देशीय जल के किसी भी हिस्से में है, तैरता है या जो उसकी राय में, उसके मुक्त नौपरिवहन अथवा किसी भी अवतरण स्थान या आरोहण या उसके भाग का विधिमान्य उपयोग को रोकता या बाधित करता है।
 - (2) यदि किसी ऐसी लकड़ी, बेड़े या अन्य संपत्ति का स्वामी या व्यक्ति, जिसने ऐसी कोई बाधा, अड़चन या लोक उपताप कारित किया है, मांग किए जाने के बाद तीस दिनों के भीतर या ऐसी अन्य रीति से, जो राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे उसे हटाने में उपगत युक्तियुक्त व्ययों का भुगतान करने में उपेक्षा करे, तो ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर या ऐसा अन्य अधिकारी ऐसी लकड़ी, बेड़े या अन्य चीज या किसी भी लोक उपताप की सामग्री को हटा सकता है, या लोक नीलामी द्वारा बेच सकता है और विक्रय से प्राप्त आगमों को इस तरह के हटाये जाने और विक्रय के सभी व्ययों के लिए अपने पास रख सकता है।
- 41. अविक्रीत संपत्ति और विक्रय आगम.- (1) यदि ध्वस्त पोत सामग्री के किसी रिसीवर द्वारा इस तरह से बरामद की गई संपत्ति अविक्रीत रह जाती है, तो ऐसी संपत्ति को राज्य सरकार द्वारा निदेशित तरीके से रखा और निक्षेपित किया जाएगा, और यदि आवश्यक हो, तो समय-समय पर, उस वस्तु या सामग्री, जो अविक्रीत रह गई है को रखने के व्ययों के साथ-साथ विक्रय के व्ययों की वसुली कर सकता है।
 - (2) व्यय और अतिरिक्त रकम, ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर या ऐसे अन्य अधिकारी को, अंतर्देशीय जल से बरामद संपत्ति के विक्रय से प्राप्त आय में से देय होगी, और शेष रकम का भुगतान बरामद संपत्ति के पात्र व्यक्ति को किया जाएगा अथवा, यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है और शेष रकम का दावा नहीं करता है, तो इसे बिना ब्याज के, उस व्यक्ति को भुगतान के लिए निक्षेपित रखा जाएगा, जो बाद में उस पर स्वामित्व का अधिकार स्थापित करे।
 - (3) विक्रय की तारीख से छत्तीस महीने के पश्चात् किए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
 - (4) छत्तीस महीने की अवधि के पश्चात् उप-नियम (1) के अंधीन इस प्रकार निक्षेपित अदावाकृत रकम, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन सजित सामान्य निधि में अंतरित की जाएगी।
 - (5) जहां संपत्ति के विक्रय आगम, व्ययों और अतिरिक्त प्राप्य रकम को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; जलयान का स्वामी जिस समय जलयान बर्बाद हो गया था, फंस या डूब गया था, मांग करने पर ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर या ऐसे अन्य अधिकारी को ऐसी कमी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि ऐसी मांग के एक महीने के भीतर कमी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर या ऐसे अन्य अधिकारी, ऐसे स्वामी से कमी की इस प्रकार वसूली कर सकते हैं जैसे कि यह भू-राजस्व का बकाया हो।
 - (6) इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन सीमित देयता के हकदार व्यक्तियों की देयता केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

42. ध्वस्त पोत सामग्री का संरक्षण.- (1) कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा;

- (क) मास्टर के न रहने पर या ऐसे किसी भी जलयान पर चढ़ने का प्रयास करना, जो नष्ट हो गया है, फंसा हुआ या संकट में है, जब तक कि व्यक्ति ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर द्वारा जारी लिखित कमाण्ड या आदेश द्वारा कार्य नहीं कर रहा है; या
- (ख) अंतर्देशीय जल में या स्थोरा के किसी भी हिस्से या जलयान के उपस्कर या किसी ध्वस्त पोत सामग्री में फंसे हुए या फंसे होने के खतरे में या अन्यथा संकट में फंसे किसी भी जलयान को बचाने में कोई बाधा या रुकावट डालना या किसी भी तरह से बाधा डालने का प्रयास करना; या
- (ग) किसी भी ध्वस्त पोत सामग्री को छिपाना या खराब करना या उस पर से किसी भी निशान को मिटाना; या

(घ) अंतर्देशीय जल में या स्थोरा के किसी भी हिस्से या जलयान के उपस्कर या किसी ध्वस्त पोत सामग्री के किसी भी हिस्से में फंसे हुए या फंसे होने के खतरे में या अन्यथा संकट में पड़े जलयान के किसी भी हिस्से को गलत तरीके से ले जाना या हटाना।

17

- (2) जहां ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर को संदेह हो या उसे जानकारी प्राप्त होती है कि ध्वस्त पोत सामग्री को छिपाया गया है या किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में है जिसने इसे छुपाया है, वह उसका स्वामी नहीं है या किसी भी ध्वस्त पोत सामग्री को अन्यथा अनुचित तरीके से निपटाया जाता है, वह ऐसे प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से जिसे उस मामलें पर अधिकारिता है, तलाशी वारंट जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है, और वह मजिस्ट्रेट ऐसा वारंट दे सकता है और उसके आधार पर ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर किसी भी गृह या अन्य स्थान और किसी भी जलयान में प्रवेश कर सकता है और जब्ती के लिए तलाशी ले सकता है, और वहां मिले ऐसे किसी भी ध्वस्त पोत सामग्री को निरुद्ध कर सकता है।
- 43. सरकारी मूरिंग को कलुषित करना.- (1) यदि कोई जलयान, अंतर्देशीय जल के किसी भाग में राज्य सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार द्वारा अधिकथित बोया या मूरिंग में हुक लगाता है या उसे कलुषित करता है, तो न तो ऐसे जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति और न ही कोई अन्य व्यक्ति आपात स्थिति को छोड़कर, ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर या इस संबंध में नियुक्त या अधिकृत किसी अन्य अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, अनहुक करने या हटाने के उद्देश्य से बोया या मूरिंग को नहीं उठायेगा।
 - (2) ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर या इस संबंध में नियुक्त या प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी ऐसी दुर्घटना होने या दुर्घटना की संभावना की सूचना प्राप्त होने पर तुरंत लिखित में अनुज्ञा जारी करेगा और ऐसे जलयान के समाशोधन में सहायता करेगा, जलयान का मास्टर या भारसाधक व्यक्ति मांग करने पर ऐसे युक्तियुक्त व्ययों का भुगतान करेगा जो वहन किए गए हैं।
- 44. ध्वस्त पोत सामग्री के विक्रय की प्रक्रिया.- (1) ध्वस्त पोत सामग्री का रिसीवर लोक नीलामी से अन्यथा ध्वस्त पोत सामग्री का विक्रय नहीं करेगा और ऐसा प्रत्येक विक्रय क्रेता द्वारा सरकार या पत्तन प्राधिकारियों को देय किसी कर और ध्वस्त पोत सामग्री पर विल्लगमों के लिए पूरा उत्तरदायित्व लिए जाने के आधार पर की जाएगी।
 - (2) ध्वस्त पोत सामग्री के विक्रय के लिए नियत तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले, व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों के लगातार तीन अंक में अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी; इस तरह की प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित शामिल होंगे-
 - (क) विक्रय के अधीन ध्वस्त पोत सामग्री का विवरण, इसके स्थान और अन्य ज्ञात विवरण, यदि कोई हो;
 - (ख) नीलामी मूल्य का प्रतिशत जिसका नीलामी के समापन के तत्काल बाद डाउन-पेमेंट के रूप में भुगतान करना होगा:
 - (ग) वह अवधि जिसके भीतर सफल बोलीदाता द्वारा शेष रकम का भुगतान किया जाएगा;
 - (घ) विक्रय की जा रही ध्वस्त पोत सामग्री की प्रकृति के आधार पर और जिन परिस्थितियों में इसका विक्रय किया जा रहा है, आवश्यक समझा जाने वाला कोई अन्य विवरण;
 - (ङ) रिसीवर के पास उच्चतम बोली को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए विक्रय को स्थगित करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखने उपबंध;
 - (च) इस आशय का एक उपबंध है कि खंड (ख) में निर्दिष्ट डाउन पेमेंट की रकम को जब्त कर लिया जाएगा, यदि सफल बोलीदाता खंड (ग) में निर्धारित अविध के भीतर शेष रकम का पूर्ण और अंतिम भुगतान करने में विफल रहता है।
 - (3) जहां एक रिसीवर उच्चतम बोली को स्वीकार नहीं करता है या किसी नीलामी को स्थगित या रद्द करता है, वह लिखित रूप में इसका कारण अभिलिखित करेगा और पदाभिहित प्राधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी को रिपोर्ट करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

- (4) जहां, कोई नीलामी उच्चतम बोली को अस्वीकार करने या ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर द्वारा विकल्प को रद्द करने के कारण या उच्चतम बोली लगाने वाले की ओर से नियत अविध के भीतर कीमत का पूर्ण और अंतिम भुगतान करने में विफलता के कारण नहीं हो पाती है, वहां ध्वस्त पोत सामग्री की विक्रय के लिए नीलामी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी।
- 45. दो या दो से अधिक अधिकारिताओं में फैली ध्वस्त पोत सामग्री.- जब किसी भी ध्वस्त पोत सामग्री का एक हिस्सा बहकर एक रिसीवर की अधिकारिता में किनारे पर आता है या लाया जाता है और उसका शेष हिस्सा किसी अन्य रिसीवर की अधिकारिता में पहुंच जाता है या किनारे पर लाया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक रिसीवर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे।
- **46. दूसरे रिसीवर के अधिकारिता में पहुंची ध्वस्त पोत साम**ग्री.- जब ध्वस्त पोत सामग्री के किसी भी रिसीवर की अधिकारिता में पायी गयी कोई ध्वस्त पोत सामग्री किसी अन्य रिसीवर को दी जाती है, तो बाद वाला रिसीवर तत्काल पूर्व रिसीवर को इसके बारे में सूचित करेगा; और इस तरह की ध्वस्त पोत सामग्री का निपटान उस रिसीवर द्वारा किया जाएगा, जिसे वह दी गयी है, जैसे कि यह उसकी अधिकारिता में पायी गयी थी।
- 47. राष्ट्रीय जलमार्ग में ध्वस्त पोत सामग्री.- राष्ट्रीय जलमार्गों के भीतर जलयान के क्षतिग्रस्त होने, फंसे होने या संकट में पड़ने की घटनाओं के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार निदेश या आदेश द्वारा उन राज्य सरकारों को अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकती है, जिनकी अधिकारिता में राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है और जहां ऐसा जलयान नष्ट हो गया है, फंस गया है या संकट में है।
- **48. अनुप्रयोग का विस्तार.-** केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अंतर्देशीय जल के भीतर चलने वाले अंतर्देशीय जलयानों के लिए, भारत में संकट में पड़ने वाले जलयानों या फंसे जलयानों की ध्वस्त पोत सामग्री के प्रशासन से संबंधित किसी भी अन्य कानून के अनुप्रयोग का विस्तार कर सकती है।
- 49. बचाव मूल्य और बचावकर्ता के अधिकार.- (1) संकट में पड़े किसी यांत्रिक रूप से नोदित अंतर्देशीय जलयान का स्वामी या इस संबंध में स्वामी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ उस जलयान को बचाव सेवाएं प्रदान करने के लिए एक करार कर सकता है, जो संकट में है और ऐसे किसी करार में निम्नलिखत को अंतर्विष्ट कर सकता है:
 - (क) उद्यम के सफल समापन की स्थिति में बचावकर्ता को देय रकम;
 - (ख) उद्यम की आंशिक सफलता की स्थिति में बचावकर्ता को देय रकम;
 - (ग) अनुबंध के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व, जिसमें बचावकर्ता का पारिश्रमिक का अधिकार और उसकी वसूली के उपाय शामिल हैं;
 - (घ) करार से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटारा किये जाने के उपाय; तथा
 - (ङ) करार की विषय वस्तु के लिए विशिष्ट महत्व या सुसंगतता का कोई अन्य मामला।
- (2) जहां सेवाएं उपरोक्त उप-नियम (1) के अधीन यथा उपबंधित किसी करार के आधार पर प्रदान नहीं की जाती हैं,-
 - (क) अंतर्देशीय जल सीमा के भीतर किसी भी जलयान से पूरी तरह या आंशिक रूप से जीवन की रक्षा करने; या
 - (ख) अंतर्देशीय जल सीमा में किसी भी स्थान पर नष्ट हुए, फंसे या संकट में पड़े एक जलयान की सहायता करने या स्थोरा या उपस्कर को बचाने; या
 - (ग) ध्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी ध्वस्त पोत सामग्री को बचाने;

जलयान, स्थोरा, उपस्कर या ध्वस्त पोत सामग्री का स्वामी, बचावकर्ता को घ्वस्त पोत सामग्री के रिसीवर या उक्त प्रयोजन के लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त या प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा यथा अवधारित युक्तियुक्त राशि के लिए प्रदान करेगा।

19

- (3) जब जीवन के संरक्षण के संबंध में बचाव मूल्य जलयान के स्वामी द्वारा देय हो, तब उसे बचाव के लिए अन्य सभी दावों से पूर्व भुगतान किया जाएगा।
- **50. बचाव मूल्य के रूप में देय रकम का अवधारण.-** (1) जहां स्वामी और बचावकर्ता के बीच एक अभिव्यक्त करार विद्यमान हो, वहां किसी भी व्यक्ति को देय बचाव की रकम निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखते हुए अवधारित की जाएगी, अर्थात्: -
 - (क) खतरे की प्रकृति और स्तर, जिससे मानव जीवन या संपत्ति को बचाया गया था;
 - (ख) बचाई गई संपत्ति का कुल मूल्य;
 - (ग) बचाई गई संपत्ति की विक्रय के आगम, जहां ऐसी संपत्ति का विक्रय किया गया था;
 - (घ) बचावकर्ता द्वारा सामना किए गए जोखिम की प्रकृति और स्तर;
 - (ङ) बचाव सेवा में लगी बचावकर्ता की संपत्ति का मूल्य और प्रकृति और उस खतरे का स्तर जिसका इसे सामना करना पड़ा था;
 - (च) बचाव सेवा के लिए किए गए दायित्व जैसे बीमा के लिए जोखिम, यात्रियों या स्थोरा की देयता या विचलन या दोनों में देरी;
 - (छ) निरोध, लाभदायक व्यापार की हानि, जलयान, उसके उपस्कर या यंत्रों को हुई क्षति जैसी बचाव सेवा के निष्पादन में हुई हानि;
 - (ज) बचाव सेवा को आगे बढ़ाने में बचावकर्ता द्वारा उचित रूप से उपगत व्यय;
 - (झ) बचाव सेवा से उत्पन्न होने वाली जीवन की हानि या क्षति या संपत्ति के नुकसान के लिए बचावकर्ता द्वारा किए गए व्यय;
 - (ञ) सेवा प्रदान करने में बचावकर्ता द्वारा दिखाया गया कौशल; तथा
 - (ट) बचाव सेवा प्रदान करने में लगनेवाला समय और श्रम।
 - (2) जहां उप-नियम (1) का खंड (ट) एकमात्र मानदंड है जिस पर बचाव का दावा आधारित है, कोई बचाव रकम देय नहीं होगी।
- 51. बचाव मूल्य के रूप में देय रकम के अवधारण का विवाद.- (1) किसी भी विवादित पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर इस भाग के अधीन देय रकम या अवधारित रकम के करार या बकाया भुगतान के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का अवधारण:
 - (क) जहां दावा की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक नहीं है वहां यथास्थिति, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा; या
 - (ख) जहां दावा की गई रकम दस लाख रुपये से अधिक है वहां जिला न्यायालय द्वारा, किया जाएगा ।
 - (2) जहां इस नियम के अधीन बचाव रकम के हकदार व्यक्तियों के बारे में विवाद है, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय, जैसा भी मामला हो, विवाद का विनिश्चय करेंगे और यदि ऐसी रकम के हकदार एक से अधिक व्यक्ति हैं, तो मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय निर्णय करेगा और उस रकम को ऐसे व्यक्तियों में विभाजित करेगा।
 - (3) इस नियम के अधीन प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाही के खर्च और प्रासंगिकता ऐसे मजिस्ट्रेट या जिला न्यायालय के विवेक पर होगी, जिसे यह अवधारित करने की पूरी शक्ति होगी कि किसके द्वारा या किस संपत्ति से और किस सीमा तक ऐसे खर्चों का भुगतान किया जाना है और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी आवश्यक निदेश दे सकेगा।

- **52. मूल्यांकनकर्ताओं की नियुक्ति.-** (1) बचाई गई किसी संपत्ति के मूल्य का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए या बचाव की रकम का अवधारण करने में किए गए किसी भी विचार-विमर्श के मूल्यांकन के लिए; रिसीवर या न्यायालय, मूल्यांकनकर्ताओं के एक पैनल से जो अनुरोध करने पर पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रदान किया जाएगा, एक मूल्यांकक नियुक्त कर सकता है,
 - (2) रिसीवर मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट का अभिलेख रखेगा और उसकी सत्यापित प्रतियां स्वामी और बचावकर्ता को देगा।
 - (3) मूल्यांककों को ऐसे प्रभारों का भुगतान किया जाएगा जो रिसीवर या न्यायालय उचित समझे और ऐसे प्रभारों बचाव के व्यय खाते में प्रभारित होंगे;

परंतु जहां किसी अन्य पक्ष की सहमति के बिना स्वामी या बचावकर्ता के अनुरोध पर एक मूल्यांकक नियुक्त किया जाता है, प्रभारों का भुगतान उस पक्ष द्वारा किया जाएगा जिसके अनुरोध पर मूल्यांकक नियुक्त किया गया था।

- 53. बचाव मूल्य पंचाट.- (1) कोई बचाव मूल्य पंचाट नहीं दिया जाएगा: -
 - (क) ऐसे किसी भी मामले में जहां संपत्ति या विक्रय आगम, स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या समनुदेशिती द्वारा दावा किया जाता है, जब तक कि उक्त संपत्ति या विक्रय आगम के दावेदार का हक स्थापित नहीं हो जाता है।
 - (ख) किसी भी मामले में जहां संपत्ति का उसके स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या समनुदेशिती द्वारा दावा नहीं किया जाता है, जब तक कि उक्त संपत्ति का विक्रय नहीं किया जाता है।
 - (ग) किसी भी मामले में जहां किसी भी पक्ष ने मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के लिए आवेदन किया है, जब तक कि मूल्यांकनकर्ता के फीस का संदाय नहीं किया जाता है।
 - (2) जहां रिसीवर ने एक बचाव मूल्य पंचाट दिया है, वह स्वामी को ध्वस्त पोत सामग्री का परिदान तब तक रोक देगा जब तक कि स्वामी उक्त पंचाट के अधीन उसको शोध्य बचाव मूल्य के संबंध में बचावकर्ता से निर्मुक्ति प्राप्त नहीं करता है।
 - (3) जहां रिसीवर ने किसी भी ध्वस्त पोत सामग्री का निपटारा किया है, वह बचावकर्ता के दावे का पंचाट के अनुसार ध्वस्त पोत सामग्री के विक्रय आगमों से निपटारा करेगा और स्वामी को अतिशेष विक्रय आगमों का संदाय करने से पहले, बचावकर्ता से, उसके दावे का पूर्ण और अंतिम निपटान में रकम प्राप्त करने के प्रमाण में एक रसीद प्राप्त करेगा।
- **54. आदेश और निदेश जारी करने की शक्तियाँ.-** नियमों के प्रभावी प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकारें निदेश या आदेश द्वारा निम्नलिखित की व्यवस्था करेंगी;
 - (क) वास्तविक अधिकार रखने वाले स्वामी को ध्वस्त पोत सामग्री का परिदान;
 - (ख) औपचारिकताएं जब बोये को बहाव या तट पर पाया जाता है;
 - (ग) बचाव मुल्य में शामिल प्रक्रियाएँ;
 - (घ) फंसे या अन्यथा संकट में पड़े जलयानों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर प्रक्रियाएँ;
 - (ङ) प्राप्तियां और व्यय:
 - (च) फीस;
 - (छ) रजिस्टर बही; और
 - (ज) ऐसी अन्य प्रक्रियाएँ और पद्धतियां जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उचित समझी जाएं, जो अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के विरोध में नहीं हैं।

अध्याय 6 — व्यापार अनुज्ञा और विदेशी जलयान के प्रमाणपत्रों के पृष्ठांकन के लिए नियम

- 55. प्रक्रियाएँ और शर्तें.- अधिनियम की धारा 82 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर और भारत में अंतर्देशीय नौपरिवहन के लिए नियोजित किए जाने वाले विदेशी जलयानों के लिए अनुज्ञा से संबंधित किसी अन्य देश के साथ केंद्रीय सरकार के बीच सहमित के क्षेत्र, उपयोजन और ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया अधित्याग और छूट, यदि कोई हो के अधीन भारत के अंतर्देशीय जल में नियोजित किए जाने के लिए आशयित विदेशी जलयान—
 - (क) स्वामी या परिचालक या ऐसे स्वामी या परिचालक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से भारत के अंतर्देशीय जल के भीतर चलने की अनुज्ञा के लिए ऐसे प्राधिकारी को जो इस नियम के अधीन प्राधिकृत किया जाए, एक आवेदन करेगा;
 - (ख) विदेशी जलयान अधिनियम के अध्याय 4, 5 और 6 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के समतुल्य प्रमाणपत्र धारण करता हो:
 - (ग) सर्वेक्षण के प्रमाणपत्र या समतुल्य प्रमाणपत्र के मामले में, ऐसे विदेशी जलयान अधिनियम के अध्याय 4 के अनुपालन में अपेक्षाओं का पालन करेंगे और विशेष रूप से पदाभिहित प्राधिकारियों से अनुपालन के संबंध में एक अनुसमर्थन प्राप्त किया जाएगा जिनकी अधिकारिता में ऐसे जलयान नियोजित करने का आशय हो, और जब तक किसी आदेश या निदेश द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से अनन्य नियोजन की दशा में, सक्षम प्राधिकारी से समान अनुसमर्थन प्राप्त करना होगा;
 - (घ) अंतर्देशीय जल के भीतर नियोजित करने के लिए विदेशी जलयानों द्वारा अधिनियम के अध्याय 6 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन यथा उपबंधित मैर्निंग मानकों का अनुपालन किया जाएगा;
 - (ङ) यदि, नियोजित करने के लिए आशयित विदेशी जलयान 'विशेष श्रेणी के जलयानों' की श्रेणी में आते हैं, तो ऐसे जलयानों को अधिनियम के अध्याय 7 और उसके अधीन बनाए गए नियमों का पालन करना होगा;
 - (च) विदेशी जलयान के पास अधिनियम के अध्याय 9 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रदूषण की रोकथाम के लिए आज्ञापक प्रमाणपत्र के समतुल्य प्रमाणपत्र होगा;
 - (छ) अधिनियम के अधीन विहित सड़क के नियमों का पालन करेगा; और
 - (ज) ऐसी अन्य शर्तें जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।
- 56. विदेशी जलयानों को छूट देने की शक्तियाँ.- अधिनियम की धारा 112 के अधीन, केंद्रीय सरकार विदेशी जलयानों के किसी भी वर्ग या श्रेणी को अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षओं से छूट या शिथिलता प्रदान कर सकती है।
- 57. व्यापार अनुज्ञा प्रमाणपत्र जारी करना.- नियम 55 के अधीन दी गई व्यापार अनुज्ञा का प्रमाण ऐसे प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज से प्रमाणित किया जाएगा, जो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में जारी किया गया हो।
- 58. अतिरिक्त निबंधनों के साथ पूर्वापेक्षाओं का अनुपालन.- नियम 55 के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञा अन्य व्यक्तियों के मध्य अतिरिक्त निबंधनों और शर्तों को विनिर्दिष्ट करेगी जैसे कि जलयान वर्गीकरण की अपेक्षाएं; अनुज्ञा की अविध और विधिमान्यता; विस्तार या क्षेत्र जिसके भीतर विदेशी जलयानों को उपयोग करने की अनुज्ञा है; जलयान का आशयित नियोजन या उद्देश्य; वित्तीय उपक्रम या गारंटी अपेक्षाएं और अन्य; जिनका व्यापार अनुज्ञाएं जारी करने के लिए पूर्व-अपेक्षित शर्त के रूप में विदेशी जलयान द्वारा अनुपालन किया जाना आवश्यक है।
- 59. समर्पण का कर्तव्य.- विदेशी जलयानों के आशयित नियोजन या प्रयोजन के पूरा होने पर, भारत के अंतर्देशीय जल में चलने की अनुज्ञा की समाप्ति या पर्यवसान के आधार पर, जो भी पहले हो, अनुज्ञा का उल्लेख करने वाला दस्तावेज़ उस प्राधिकारी को सौंप दिया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा, जिसने ऐसी अनुज्ञा जारी की है और ऐसा प्राधिकारी उक्त दस्तावेज़ को रद्द के रूप में प्रमाणित करते हुए पृष्ठांकित करेगा।

- **60. नवीकरण.-** आवेदकों से अनुज्ञा के नवीकरण के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन पर, संबंधित प्राधिकारी नियम 55 के अधीन छह महीने की अविध के लिए अनुज्ञा का नवीकरण कर सकते हैं।
- **61. अनुज्ञा देने से इंकार करने का अधिकार.-** इसमें अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, नियम 55 या नियम 60 के अधीन आवेदन प्राप्त करने वाले संबंधित प्राधिकारी, विदेशी जलयानों के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर सकते हैं और इस तरह के इंकार के कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।
- **62. फीस और अतिरिक्त फीस.-** नियम 55 के अधीन संबंधित प्राधिकारी ऐसी फीस प्रभारित कर सकेंगे, जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश या निदेश द्वारा अधिसूचित की जाए।
- 63. समान व्यवहार.- (1) जिन निबंधनों और शर्तों के अधीन विदेशी जलयानों को नियम 55 के अधीन अनुज्ञा दी जाती है या नियम 60 के अधीन नवीनीकृत किया जाता है, वे समान वर्ग, प्रकार या श्रेणी के इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत, मान्यता प्राप्त या परिलक्षित अंतर्देशीय जलयानों की तुलना में अधिक अनुकूल नहीं होंगे, जिसका भारतीय अंतर्देशीय जलयानों को पालन करना आवश्यक है।
 - (2) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलयानों पर लागू यथा विहित फीस, अतिरिक्त फीस, प्रभार और शास्तियां, भारत के अंतर्देशीय जल के भीतर चलने की अनुज्ञा वाले विदेशी जलयानों पर लागू होंगी।

अध्याय 7 – साधारण नियम

- 64. पर्यावरण का संरक्षण और परिरक्षण.- जैव विविधता, जलीय जीवन और पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 98 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के आधार पर; और अंतर्देशीय जलयानों के नौपरिवहन के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए; पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों से गुजरने वाले सभी अंतर्देशीय जलयानों को पर्यावरण अधिनियम (रक्षणसं), 1986 (1986 का अधिनियम संख्या 29), वन्यअधिनियम (संरक्षण) जीव-, 1972 (1972 का अधिनियम संख्या 53) के अधीन केंद्रीय सरकार और भारत में प्रवृत अन्य शासी विधियों द्वारा यथा विहित सन्नियमों और मानकों का पालन करना होगा।
- **65. इस नियम के अधीन अपराध.-** ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस नियमों का उल्लंघन करता है,अधिनियम की धारा 87 की उप-धारा (3) के उपबधों अधीन दण्डनीय होगा।
- **66. अधिनियम के अधीन विहित फीस और अतिरिक्त फीस.-** (1) अधिनियम की धारा 89 के प्रयोजनों के लिए, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फीस और अतिरिक्त फीस, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन के अधीन होगी।
 - (2) जहां फीस और अतिरिक्त फीस को अवधारित और नियत करना व्यावहार्य नहीं है, राज्य सरकारें अभिलिखित करते हुए, ऐसी फीस और अतिरिक्त फीस के साथ जो समय-समय पर लागू की जाए, निदेश या आदेश द्वारा सेवाओं के वर्गीकरण और श्रेणीकरण को अधिसूचित कर सकती हैं।

अनुसूची

दायित्व की परिसीमा

[नियम सं. 22]

साधारण सीमाएँ

- (क) किसी विशिष्ट अवसर पर जीवन की हानि या व्यक्तिगत क्षति के दावों के संबंध में
 - (i) जीवन की हानि के लिए दस लाख भारतीय रुपए प्रति व्यक्ति
 - (ii) स्थायी दिव्यांगता के लिए प्रति व्यक्ति ग्यारह लाख भारतीय रुपए।

टिप्पण: मृत्यु और दिव्यांगता प्रतिकर के लिए दायित्व की सीमा रोगी और चोटिल व्यक्ति के उपचार की लागत के अतिरिक्त होगी।

दिव्यांगता का निर्धारण कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

- (ख) अंतर्देशीय जलयान पर यात्रियों के जीवन या व्यक्तिगत क्षति के लिए किसी विशिष्ट अवसर पर उत्पन्न होने वाले दावों के संबंध में
 - (i) जीवन के नुकसान के लिए दस लाख रुपए प्रति यात्री की रकम।
 - (ii) स्थायी दिव्यांगता के लिए प्रति यात्री 10% अतिरिक्त रकम।

टिप्पण: मृत्यु और दिव्यांगता प्रतिकर के लिए दायित्व की सीमा रोगी और चोटिल व्यक्ति के उपचार की लागत के अतिरिक्त होगी।

दिव्यांगता का निर्धारण कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

(ग) किसी अन्य दावे के संबंध में

500 जीटी से कम के जलयानों के लिए- चार करोड़ रुपए

500 जीटी से 3000 जीटी से अन्यून के जलयानों के लिए - आठ करोड़ रुपए

3000 जीटी और 6000 जीटी तक के जलयानों के लिए - बारह करोड़ रुपए

प्ररूप सं. 1

कवर नोट

[नियम सं. 5 (1)]

- 1. जलयान पहचान संख्या या चिह्न, और जलयान की पहचान या प्रकृति का विवरण सहित
- 2. प्रकृति, प्रकार या बीमा की श्रेणी
- 3. जलयान का चिह्न
- 4. रजिस्ट्रीकरण संख्या
- 5. जलयान का प्रकार
- 6. किसी विशेष क्षेत्र में चलने की पात्रता [जोन 1/ जोन 2 / जोन 3]
- 7. बीमित/स्वामी (स्वामियों) का नाम और पता।
- 8. स्वामित्व का विवरण [रजिस्ट्रीकृत स्वामी/स्वामियों/संयुक्त स्वामित्व/प्राधिकरण/शेयरों का विवरण]
- 9. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए बीमा के प्रारंभ होने की प्रभावी तारीख और समय।
- 10. बीमा की समाप्ति की तारीख:

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह कवर नोट अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त ,			1 1311121	जानिकार के	12311	9 113113	_	-	ᆂ.
इलक आतारक	वा।मत	ञ्याक्ता क	1 1 7 7 31/01/03 (1	ગાાણ માળ	1010	GIICIIC	ഘവ	ו חותו ז	٦.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	111 111	11 /1 1		111 - 11		41111 7111		, ,,,,,,	

1.	
1.	

2.

यह दस्तावेज़ मास्टर पॉलिसी जारी होने तक या तीस दिन, जो भी पहले हो, तक विधिमान्य रहेगा, जिसके पश्चात यह दस्तावेज़ स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

जारी करने की तारीख

प्ररूप सं. 2

बीमा का प्रमाणपत्र

[नियम सं. 6 (2)]

- 1. बीमाकर्ता का नाम और पता:
- 2. जलयान का नाम
- 3. जलयान पहचान संख्या या चिह्न, और जलयानों का विवरण
- 4. पहचान या प्रकृति सहित
- 5. रजिस्ट्रीकरण संख्या
- 6. जलयान का प्रकार
- 7. किसी विशेष क्षेत्र में चलने की पात्रता [जोन 1/ जोन 2 / जोन 3]
- 8. स्वामित्व का विवरण [रजिस्ट्रीकृत स्वामी/स्वामियों/संयुक्त स्वामित्व/प्राधिकरण/शेयरों का विवरण]
- 9. बीमित/स्वामी(स्वामियों) का नाम और पता।
- 10. बीमा की वैधता या समय अवधि।
- 11. बीमा शुरू होने की प्रभावी तारीख और समय।
- 12. बीमा की समाप्ति की तारीख
- 13. कटौतियों के साथ बीमित राशि या देयता
- 14. कवरेज की शर्तें या विशेष शर्तें या वारंटी।
- 15. निषेध
- 16. दावा करने की प्रक्रिया
- 17. संपर्क जानकारी
- 18. विवाद समाधान।

तारीख --/--/

हस्ताक्षिरत की ओर से

पदनाम

प्ररूप सं. 3 ध्वंसावशेष को खोजने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना

[नियम सं. 36 (1)]

- 1. सूचना देनेवालों का नाम और पता:
 - क. कंपनी के मामले में (नाम, पता, शासकीय मुहर, आदि)
 - ख. फर्म के मामले में (नाम, पता, शासकीय संख्या आदि)
- 2. सूचना देनेवाले का पदनाम: (निदेश या /भागीदार के ब्यौरे)
- 3. जलयान पहचान संख्या या चिह्न और जलयान का विवरण:
- 4. नाम, शासकीय संख्या, रजिस्ट्रीकरण संख्या और जलयान की रजिस्ट्री का बंदरगाह:
 - क. अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान
 - ख. किसी विदेशी देश में रजिस्ट्रीकृत अंतर्देशीय जलयान
 - ग. वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम , 1958 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान
- 5. जलयान के रजिस्ट्रीकृत मालिक, परिचालक और चार्टरर का विवरण:
- 6. जलयान, पुर्जे, संपत्ति या कार्गो को खोजने की तारीख:
- 7. जलयान के पुर्जे, संपत्ति या कार्गो का विवरण:
- 8. ध्वंसावशेष के प्रापक का नाम और विवरण:
- 9. वह स्थान जहां जलयान, पुर्जे, संपत्ति या कार्गो को पाया गया था:
 - क. अंतर्देशीय जल
 - ख. राष्ट्रीय जलमार्ग
- 10. पाए गए जलयान, पुर्जे, संपत्ति या कार्गो का विवरण:
- 11. विवरण
- 12. अनुमानित मूल्य
- 13. अधिकारियों को ध्वंसावशेषके प्रापक द्वारा दिये ध्वंसावशेषकी जानकारी:
- 14. राज्य सरकार के अधीन पदाभिहित प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी।
- 15. केंद्रीय सरकार के अधीन सक्षम प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी।
- 16. वाणिज्यिक समुद्री विभाग के प्रधान अधिकारी
- 17. ध्वंसावशेषकी सूचना बीमाकर्ता या उनके अभिकर्ताओं को दी जाए :

मैं/हम	अंतर्देशीय	जलयान अधिनि	यम, 2021 वे	_{जध्याय}	10 और	उसके अधीन	बनाए गए नियम	ों के
प्रयोजनों के लिए	को	पर हुए ध्वंस	ावशेष के संबंध	ध्र में ऊपर	उल्लिखित	ब्यौरों की पुष्टि	! करता हूं/करते हैं।	

तारीख:

सूचना देनेवाले के हस्ताक्षर

स्थान: सूचना देनेवाले/कंपनी/फर्म का पदनाम और विवरण

प्ररुप सं. 4

नौपरिवहन में बाधा

(नियम 39(6) देखें)

- 1. सूचना देने वाले का नाम और पता :
- 2. जलयान का नाम और रजिस्ट्री का पत्तन:
 - (क) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत –
 - (ख) विदेशी जलयान
 - (ग) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 या किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत –
- 3. बाधा की विशिष्टियां:
 - (क) बाधा की प्रकृति और आकार
 - (ख) नौपरिवहन संकट की प्रकृति
 - (ग) बाधाकारित करने वाली वस्तुएं
- 4. डूबे हुए या त्यक्त ध्वसांवशेष का नाम और पत्तन,यदि ज्ञात हो और यदि ज्ञात न हो, तो उसकी पहचान करने हेतु कोई विशिष्टियां
- 5. ध्वसांवशेष का वर्णन और कोई चिह्न
- 6. तारीख या समय जब ध्वसांवशेष अंतिम बार देखा गया था और तारीख और समय जब रिपोर्ट की गई थी, यदि कोई है :
- 7. यदि ध्वसांवशेष डूबा हुआ है, तो वह सटीक स्थान जहां जलयान पड़ा है:
- 8. ध्वसांवशेष के तैरने की दशा में, वह स्थान जहां वह अंतिम बार देखा गया था और वह दिशा जिसकी ओर वह बह रहा है :
- 9. क्या सूचनादाता या उसके कर्मीदल का कोई अन्य त्यक्त पर सवार था
- 10. क्या जलयान टूटा हुआ था:
- 11. क्या जलयान में जल भराव था :
- 12. क्या जलयान उलट गया था:
- 13. क्या जलयान की टक्कर हुई थी:
- 14. जलयान बंदरगाह का वर्णन और प्रकृति :
- 15. यह रिपोर्ट करने की तारीख:
- 16. बीमाकर्ता या उसके अभिकर्ताओं को सूचना देने की तारीख:

मैं	(ध्वसांवशेष	प्रापक के ब्य	गौरे) अंतर्देशीय	जलयान	अधिनियम,	2021	के अध्या	य 10	और उसके	अधीन
बनाए गए नि	यमों के प्रयोज	नों के लिए _	को	पर हुए	, ध्वंसावशेष	के संबंध	में ऊपर	उल्लिखि	त ब्यौरों	की पुष्टि
करता हूं।										
										

तारीख:

स्थान:

ध्वसांवशेष प्रापक के हस्ताक्षर

ध्वसांवशेष प्रापक का पदनाम और ब्यौरे

[फा. सं. आईडब्ल्यूटी-11011/91/2021- आईडब्ल्यूटी] सुनील कुमार सिंह, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2022

G.S.R. 449 (E).—Whereas draft of the Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022 were published, as required under sub-section (1) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways *vide* number G.S.R. 150 (E) dated the 23rd February, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 23rd February 2022 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 23rd February, 2022:

And, whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 59, sub-section (5) of section 64, sub-sections (1) and (2) of section 68, section 73, section 80, section 81, sub-sections (1), (2) and (3) of section 82, clause (e) of sub-section (1) of section 98 read with clauses (zq) to (zz) of sub-section (2) of section 106 of the Inland Vessels Act, 2021, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

- **1. Short title and commencement.** (1) These Rules may be called the Inland Vessels (Insurance, Limitation of Liability and Obligations of Service Providers and Service Users) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires
 - (a) 'Act' means the Inland Vessels Act, 2021 (24 of 2021);
 - (b) "accident" means an accident involving the of inland vessel while within inland waters or within the waters notified by the Central Government;
 - (c) "Form" means the forms appended to these Rules;
 - (d) "insurance company" means the insurance company with which the mechanically propelled inland vessel was insured for the relevant period;
 - (e) "insurer" shall have the same meaning assigned within clause (a) of section 2 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and shall include any foreign company engaged in the business of insurance recognized and notified by the Central Government;
 - (f) "legal representative" shall have the same meaning assigned to it in clause (11) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);
 - (g) "marine insurance", shall have the same meaning assigned to it in sections 3 and 4 of the Marine Insurance Act, 1963 (11 of 1963);
 - (h) "warranty" means an express or implied term or condition by which the insured undertakes that any particular act shall be acted upon or abstained from acting upon or that any condition shall be fulfilled or the existence of any particular state of facts is affirmed or negatived; and that, such a term or condition whether it is material to the risk or not, shall absolutely be complied with.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

CHAPTER II – INSURANCE OF MECHANICALLY PROPELLED INLAND VESSELS

3. Duty to indemnify.— (1) Notwithstanding anything contained in any other for the time being in force, an insurer issuing a certificate of insurance under Chapter XII of the Act and in compliance with this rule shall be liable to indemnify the insured or any person as specified in the policy in respect of any liability to which the policy purports to cover.

- (2) Where liability of the insured arises with respect to any claim by a third party, the corresponding liability of the insurer to indemnify the insured shall be the amount paid or payable by the insured to such third party in respect of such liability.
- (3) Unless the insurance policy otherwise provides and subject to the provisions of the Act, the insurer is liable for successive losses, if the total amount of such losses exceed the sum insured.
- **4. Duties of the insured.** (1) The contract of insurance shall be based on the principle of good faith and either party to the insurance contract may avoid his obligations, if the other party is proven to have failed to observe the principle of good faith.
- (2) The insured shall disclose to the insurer, every material circumstance that are in the knowledge of the insured and in the ordinary course of business.
- (3) The insured is deemed to know all material particulars and upon proven failure of such disclosure, shall entitle the insurer to avoid the contract of insurance.

Explanation.- For the purposes of sub-rule (2), the material circumstances shall include any circumstance, which may influence the judgment of a prudent insurer in exercising discretion to undertake the risk sought by the insured and to be covered by the insurer and for determining the premium.

- (4) Notwithstanding anything contained in this rule, the insurer shall be presumed to possess knowledge of matters, which any insurer in the ordinary course of his business ought to know.
- **5. Cover note.** (1) Pending issuance of certificate of insurance under rule 7, the authorized insurer may issue cover note and the cover note shall contain the contents as provided in Form No 1.
- (2) A cover note referred to in sub-rule (1) shall be valid for a period of thirty days from the date of its issue and subject to satisfaction of the terms and conditions, the insurer shall issue a policy of insurance before the date of expiry of the cover note.
- **6. Policy of insurance and certificate of insurance.** (1) The policy of insurance of the Act shall be reduced to writing as per the provisions of section 66 of the act and unless such a contract is embodied in a marine policy, it shall not be admitted in evidence.
- (2) An authorised insurer shall issue to every holder of a policy of insurance, a certificate of insurance and such certificate of insurance shall contain contents as provided in Form No. 2, with respect to the insured vessel.
- (3) The policy may be executed and issued, either at the time when the contract is concluded or subsequently.
- 7. Authorised person to issue the cover note and certificate of insurance.— Every certificate of insurance or cover note issued by any insurer in compliance with the provision of the Act and under these rules shall be duly authenticated by such person who is specifically authorised by such insurer, in this regard.
- **8. Warranty.** (1) Any warranty, that needs to be inferred as an express warranty, shall be included in the policy, in writing.
- (2) The warranty as to the safety, security and fitness of the mechanically propelled inland vessel to engage or employ in any intended voyage or purpose, shall be an implied warranty that arises at the commencement of the voyage or operation of such vessel, where the insurance policy is attach to the vessel.
- **9. Term of insurance.** (1) The term of insurance shall be deemed to commence from the date of the issuance of the cover note, where the cover note is issued; and if the cover note is not issued, the date on which the premium is received by the insurer from the insured; and such insurance shall remain valid till the date on which the cover note is cancelled or the insurance is terminated or lapses by time; whichever later:

Provided that where the cover note is cancelled and the authorised insurer or the insured decides not to continue with the contract of insurance; the terms of insurance shall be deemed to end on the date of cancellation of cover note.

- (2) For the purpose of sub-rule (1), unless otherwise agreed between the insurer and the insured, the duty of the insured to pay the premium and the duty of the insurer to issue the policy or the certificate of insurance to the insured shall operate concurrently.
- (3) The maximum period of insurance shall be twelve months.
- (4) Notwithstanding anything contained in any other provisions, the obligation of an insurer to indemnify the insured against any third party risks or claims, which has arisen during the subsistence of the insurance and covered in the insurance policy; shall continue to remain valid, even if the policy has lapsed by operation of time or contractual clauses.

- **10. Inspection.** The Inspectors under whose jurisdiction, a mechanically propelled inland vessel is positioned or located, may require the owner, operator or master of such vessel, to produce copy of the valid certificate of insurance carried on board such vessel.
- 11. **Detention.** (1) Any inland vessel found plying within inland waters, without a valid certificate of insurance shall be detained with immediate effect, by an authorised officer or inspectors acting under rule 10.
- (2) The cost incurred in detaining and maintaining the vessel, during such detention, if any, by the authorities; shall be levied on the owner of the vessel or on his property.
- (3) Any vessel detained under sub-rule (1) shall be released on production of the valid certificate of insurance or cover note, issued under the Act by any authorized insurer and upon satisfactory payment of the cost as provided under sub-rule (2).
- 12. Transfer of Policy of Insurance.— (1) When the ownership of any mechanically propelled inland vessel is transferred to another person, then the prevailing policy of insurance that covers the vessel, shall automatically be deemed to be transferred to transferee from the date of transfer of ownership of the inland vessel.
- (2) In the event of transfer as provided under sub-rule (1), the transferee, within fifteen days from the date on which the transfer is effected or recorded in the registry of vessels; shall intimate the details of the transfer, registration of the mechanically propelled inland vessel, the date of transfer, the details of the previous ownership and the number and date of the prevailing insurance policy; to the authorised insurer who issued the existing policy.
- (3) Any authorised insurer, who decides to issue a fresh policy of insurance or cover note, to the transferee; upon receipt of such information mentioned in sub-rule (2), shall effect the changes by incorporating such changes, in the official records maintained by the authorised insurer.
- (4) The authorised insurer, who has undertaken the obligation to provide the insurance coverage to any mechanically propelled inland vessel against the risks provided under section 66 of the Act; shall issue the certificate of insurance and the policy of insurance in compliance with the provisions of the Act to the transferee who has acquired the ownership of the vessel.
- (5) For the purposes of the Act and this Chapter, any policy of insurance once transferred shall be treated anew, and the previous policy shall be deemed as cancelled and invalid from the date of the issuance of the fresh certificate of insurance and the policy of insurance, as the case may be.
- **13. Exclusion of advertising matter.** No certificate of insurance or cover note issued under the Act and this Chapter shall contain any advertising matter on the face or on the back thereof.
- **14.** Certificates of insurance lost, destroyed or mutilated beyond recovery.— (1) Where the holder of a policy—
 - (a) lodges with an authorised insurer, a declaration in which he declares that the certificate of insurance issued to him by such insurer has been lost, destroyed or mutilated beyond recovery and sets out full particulars of the circumstances connected with the loss or destruction of the certificate and the efforts made to find it;
 - (b) returns to the authorised insurer the certificate of insurance issued to him by such insurer in a mutilated condition,
 - then the authorised insurer shall issue in lieu thereof a duplicate certificate of insurance with the word "Original in Duplicate" prominently endorsed to the effect.
- (2) After issuance of a duplicate certificate of insurance under sub-rule (1) and on representation that a certificate of insurance has been lost, and if subsequently the original certificate is retrieved, the original certificate of insurance shall be surrendered to the insurer.
- **15. Reporting of information.** On receipt of direction or request from the Central Government or any State Government or any officer authorised in this behalf by the State Government; to provide information or such other particulars; any person, authority or insurer required under the provisions of this Chapter to maintain records of documents, shall provide such information without any fees or charges.
- **16. Duty of insurers to satisfy Judgments and Awards.** (1) If, after a certificate of insurance has been issued under this Chapter, in favour of the person by whom a policy has been effected, and if any Judgment or Award in respect of any such liability as is required to be covered by a policy, as mentioned in this Chapter is obtained against any person insured by the policy, then, notwithstanding that the insurer may be entitled to avoid or cancel or may have avoided or cancelled the policy, the insurer shall, subject to the provisions of this rule, pay to the person entitled to the benefit of the decree any sum not exceeding the sum assured payable, as if he were the judgment debtor,

in respect of the liability, together with any amount payable in respect of costs and any amount payable in respect of interest on that sum by virtue of any enactment relating to interest on judgments.

- (2) No sum shall be payable by any authorised insurer under sub-rule (1) in respect of any Judgment or Award unless, before the commencement of the proceedings in which the Judgment or Award is given, the insurer has been served with notice of such proceedings, through the Court or, as the case may be; the Court appointed or authorised to process claim or of the bringing of the proceedings, or in respect of such Judgment or Award so long as execution is stayed thereon pending an appeal; and an insurer to whom notice of any such proceedings is so served shall be entitled to be made a party thereto and to defend the action on any of the following grounds, namely:
 - (a) that there has been a breach of a specified condition of the policy, being a condition excluding the use of the mechanically propelled vessel; or
 - (b) for hire or reward, where the mechanically propelled vessel was found not fit to ply on the commencement of the voyage.
- (3) Where any such judgment as is referred to in sub-rule (1) is obtained from a Court in a reciprocating country and in the case of a foreign judgment, by virtue of the provisions of section 13 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) conclusive as to any matter adjudicated upon by it, the insurer (being an insurer registered under the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and whether or not he is registered under the corresponding law of the reciprocating country) shall be liable to the person entitled to the benefit of the decree in the manner and to the extent specified in sub-rule (1), as if the judgment were given by a Court in India:

Provided that no sum shall be payable by the insurer in respect of any such judgment unless, before the commencement of the proceedings in which the judgment is given, the insurer had been served the notice through the Court concerned, regarding institution of the proceedings and, the insurer to whom notice is so served is entitled under the corresponding law of the reciprocating country, to be made a party to the proceedings and to defend the action on grounds similar to those specified in sub-rule (2).

- (4) Where a certificate of insurance has been issued under this Chapter or the provisions of the Act and in such certificate of insurance, if there is any condition that does not purport to provide liability of the insurer to cover risks in compliance with section 66 of the Act for reasons other than those in clause (b) of sub-rule (2); such condition or conditions in the certificate of Insurance shall be of no effect.
- 17. **Right to subrogation.** Where the insurer indemnifies the liability of the insured, such insurer shall be entitled to take over the interest of the insured, as far as the insured has been indemnified; and the rights and remedies of the insured in respect of the subject matter insured subrogates to the insurer.
- **18. Settlement between insurers and insured persons.** (1) No settlement made by an insurer in respect of any claim raised by the claimant in respect of any liability of the nature referred in section 66 of the Act shall be valid, unless such claimant is a party to the settlement.
- (2) Where a person who is insured under a policy issued for the purposes of the Act has become insolvent, or where, if such insured person is a company, a winding- up order has been made or a resolution for a voluntary winding-up has been passed with respect to the company, no agreement made between the insurer and the insured person after the liability has been incurred to the claimants and after the commencement of the insolvency or winding-up, as the case may be, nor any waiver, assignment or other disposition made by or payment made to the insured person after the commencement aforesaid shall be effective to defeat the rights transferred to the claimant under this rule, but those rights shall be the same as if no such agreement, waiver, assignment or disposition or payment has been made.
- **19. Rights of claimants on insolvency of the insured.** (1) When any contract of insurance is effected in accordance with the provisions of this Chapter, and if a person is insured against risks or liabilities, which he owes to claimants as provided in Section 66 of the Act, then
 - (a) in the event of the person becoming insolvent or making a composition or arrangement with his creditors;
 - (b) where the insured person is a company, in the event of a winding-up order being made or a resolution for a voluntary winding-up being passed with respect to the company or of a receiver or manager of the company's business or undertaking being duly appointed, or of possession being taken by or on behalf of the holders of any debentures secured by a floating charge of any property comprised in or subject to the charge, any such liability incurred by the insured person and his rights against the insurer under the contract in respect of the liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and vest in the claimants covered under this Chapter or under the Act to whom the liability was so incurred.

- (2) Where an order for the administration of the estate of a deceased debtor is made according to the law of insolvency, then, if any debt provable in insolvency is owing by the deceased in respect of a liability to any claimant for the claims covered under this Chapter or the Act; against which he was insured under such contract of insurance in accordance with the provisions of the Act; then the deceased debtor's rights against the insurer in respect of that liability shall, notwithstanding anything to the contrary in any provision of law, be transferred to and shall vest in the person to whom the debt is owing.
- (3) Any condition in a policy issued for the purposes of the Act or under this Chapter purporting either directly or indirectly to avoid the policy or to alter the rights of the parties hereunder upon the happening to the insured person of any of the events specified in clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) or upon the making of an order for the administration of the estate of a deceased debtor according to the law of insolvency, shall be of no effect.
- (4) Upon transfer under sub-rule (1) or sub-rule (2), the insurer shall be under the same liability to the claimants covered under the Act or under this Chapter, as he would have been the insured person.
- **20. Insolvency not to affect liability.** Where a certificate of insurance has been issued to the person by whom a policy has been effected, subsequent to which he becomes insolvent or bankrupt; then, notwithstanding anything contained in this Chapter, the liability of the insured and the authorised insurer shall remain with respect to nature of claims referred to in section 66 of the Act:

Provided that, nothing in this rule, shall affect the rights of insured to be indemnified by the authorised insurer or the rights of the claimants to bring direct action against the authorised insurer; who has undertaken the liability of the insured by virtue of the contract of insurance formed in compliance with the provisions of Chapter XII of the Act.

- **21.** Duty to give information as to particulars of insurance and status of insured. (1) Person against whom a claim is made in respect of any liability shall on demand by or on behalf of the person making the claim, state the details and particulars of insurance, including the extent of the risk or coverage and the like, as covered by such policy of insurance.
- (2) In the event of any person becoming insolvent or making a composition or arrangement with his creditors or in the event of an order being made for the administration of the estate of deceased person according to the law of insolvency, or in the event of circumstances provided in rule 20, it shall be the duty of the insolvent debtor, personal representative of the deceased debtor or company, as the case may be, or the official assignee or receiver in insolvency, trustee, liquidator, receiver or manager, or person in possession of the property to give at the request of any person claiming that the insolvent debtor, deceased debtor or company, is under such liability to him as is covered by the provisions of the Act, the information as may reasonably be required by him for the purpose of ascertaining, whether any rights have been transferred to and vested in him, and for the purpose of enforcing such rights, if any; and any such contract of insurance as purports, whether directly or indirectly to avoid the contract or to alter the rights of the parties, upon giving of such information in the events aforesaid, or otherwise to prohibit or prevent the giving thereof in the said events, shall be of no effect.
- (3) The duty to give the information imposed by this rule shall include a duty to allow access to all contracts of insurance, receipts for premiums and such other relevant documents in the possession or power of the person on whom the duty is so imposed under the Act or such other laws in force in India.

CHAPTER III - LIABILITY AND LIMITS - PROCEDURES

- **22. Limits of liability.** The rights of the persons, who are entitled to limit liability under section 64 of the Act with respect to the claims including passenger claims on any distinct occasion, shall be in accordance with the Schedule appended to these rules.
- 23. Conduct barring right to limit. A person liable, shall not be entitled to limit his liability if it is proved that the loss resulted from his personal act or omission, committed with the intent to cause such loss or recklessly and with knowledge that such loss may probably resulting his act.
- **24. Limitation Fund.** (1) Any person who is entitled to limit liability against whom a claim has been registered may constitute a fund in accordance with sub-section (6) of section 64 of the Act.
- (2) The fund constituted under sub-rule (1) shall be equivalent to the limits of liability prescribed under rule 23 and shall comprise of the applicable interest from the date of occurrence of the event, which gave rise to the cause of action for the alleged liability, till the date of constitution of the limitation fund, as determined by the court.
- (3) The limitation fund constituted under sub-rule (1) shall be made available for the payment of claims as enumerated under sub-section (1) of section 64 of the Act.
- (4) Subject to rule 23, any person, who is entitled to limit liability, may constitute the fund either by depositing the amount or by producing a financial guarantee determined by the court.

- (5) For the purposes of this rule, any fund constituted by the persons entitled to limit the liability, including the insurer shall be deemed to be constituted by any or all persons against whom the alleged claims are instituted.
- **25. Disbursement of limitation fund.** (1) Upon the adjudication of claims, the court may disburse the limitation fund, which has been constituted under rule 24 among the claimants, in proportion to such claims.
- (2) While disbursing the fund as provided under sub-rule (1), the court may set-off the payments, if any made to the claimants by the persons liable or the insurer, prior to the constitution of the fund against the amount determined as payable; as it may deem fit and appropriate.
- (3) Subsequent to satisfactory disbursement of fund towards the claims against which such fund has been constituted, the persons who have constituted the fund shall be entitled for reimbursement of the residue or excess amount remaining in the fund.
- (4) For the purposes of sub-rule (3), any person, who has constituted the limitation fund, is entitled to claim the excess amount and for reimbursement of the residue amount, such person may apply to the respective court, before which the limitation fund has been constituted.
- (5) Upon receipt of the application provided under sub-rule (4), the respective Court may release any amount found in excess and subsequent to the satisfactory payment of the claims against which fund has been constituted.
- (6) Notwithstanding anything contained in sub-rule (5), the Court may retain the amount against such claims, which in its opinion, is necessary to be retained for future benefactors or claimants who has not pursue their claims subsequent to the institution of such claims; against which fund has been constituted:

Provided that Court shall not retain the residuary amount found in excess of the satisfaction of the claims for more than twelve months, from the date of final disposal or adjudication of such claims.

(7) If the persons who have constituted the fund or the claimants fail to claim the fund or the amount entitled to be received against the claims; within a period of two years, from the date of final adjudication of the claims; such excess amount shall be credited against the Development Fund constituted under section 86 of the Act and the Welfare Fund constituted under section 96 of the Act or both, in such proportions, as may deem fit by the respective State Government; in whose jurisdiction the fund has been constituted.

CHAPTER IV -RULES ON REGULATION OF TRADE PRACTICES

- **26. Minimum terms of contract.** (1) Every service provider shall provide for contractual terms consistent with the provisions of the Act and the rules made thereunder and shall stipulate the following:-
 - (a) service provider shall ensure safe transportation;
 - (b) the details of insurance, including validity, extent and the like;
 - (c) restrictions, if any regarding the carriage of passengers or cargo; and
 - (d) such other conditions as may be specified by the Central Government
- (2) Every service user shall disclose the following to the service provider.
 - (a) true nature of cargo or luggage in the case of passengers, carried or entrusted to be carried by any vessel directly or indirectly by the service provider;
 - (b) cargo is free of any danger and are safe to be carried on the inland vessel in the intended form of carriage or storage;
 - (c) the cargo is packed, labelled and identified in accordance with the provisions of the Act and this rule; and
 - (d) such other matter as may be required to be provided under any of the provisions of the act.
- **27.** Classification of dangerous goods and prohibited cargo. (1) Central Government or such authority or officer authorised by Central Government may issue guidelines or directives for the safe stowage and carriage of dangerous goods or cargo on board inland vessels from time to time.
 - (2) All service providers undertaking the carriage of dangerous goods shall ensure that the dangerous goods are stowed and carried in compliance with the guidelines or directives, issued under sub-rule (1).
 - (3) Central Government or such authority or authorised officer by general order, may publish, from time to time, the list of dangerous goods along with their categorisation, compatibility with the carriage of passengers and segregation, including the guidelines for their safe stowage and carriage on board inland vessels and the dangerous goods or cargo shall be categorised into the following: —

- (a) flammable liquid;
- (b) flammable solid;
- (c) oxidising substances;
- (d) toxic substances;
- (e) corrosive substances;
- (f) explosives;
- (g) non-toxic but flammable gas;
- (h) toxic but non-flammable gas; and
- (i) such other materials irrespective of its form or nature, as may be notified as dangerous goods or dangerous cargo.
 - (4) For the purposes of safe stowage and transportation of dangerous goods as per sub-rule (1), the Central Government may classify the dangerous goods identified in sub-rule (3) to be carried by the following class or category of mechanically propelled inland vessels which are used to—
- (a) carry, stow, or transport cargo alone,
- (b) carry or transport passengers alone, in which cargo is carried as baggage accompanying passengers; and
- (c) carry, stow or transport passengers and cargo.
 - (5) All service providers shall provide adequate information by clearly exhibiting the information as to their compliance with this rule.
 - (6) Any service provider who is found carrying dangerous goods, in contravention to this rule, shall be punishable under sub-section 3 of section 87 of the Act.
- **28. Prohibited goods or cargo.** (1) Central Government or such authority or authorised officer by Central Government may, from time to time, issue the list of goods or cargo, which the inland vessels are prohibited from carrying—
 - (a) flammable goods that are spontaneously combustible substance;
 - (b) toxic substances which are infectious in nature;
 - (c) radioactive substances or any compound containing radioactive materials including waste;
 - (d) wastes carried as cargo intended to be dumped in inland waters; and
 - (e) such other materials irrespective of its form or nature as may be enlisted as prohibited goods or cargo.
- (2) Any service provider who is found carrying prohibited goods or cargo, shall be punishable under sub-section (3) of section 87 of the Act.
- 29. Packing, labelling and manner of display of class labels for dangerous goods or dangerous cargo. —
- (1) The service user shall reveal the nature of dangerous goods or dangerous cargo to the service provider and shall pack, label and display the class of dangerous goods or dangerous cargo in compliance with instructions for the safe transport of dangerous goods or dangerous cargo by inland waterways, approved and issued by the Central Government or any other authority or officer authorised, by the Central Government from time to time.
 - (2) There shall be no presumption of knowledge on the part of the service provider with respect to the declaration of nature, packing, labelling, marking and display of class labels of dangerous goods or dangerous cargo by the service user:

Provided that the service provider shall not be held liable for the consequences arising from the acts committed by the service user in contravention to this rule.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), service provider may verify and inspect the cargo packed and labelled as dangerous goods or dangerous cargo and upon any demand from the service provider, the service user shall allow such verification and inspection of the goods or cargo by the service provider.

- **30. Mis-declared or undeclared goods or cargo.** (1) For the purpose of this Chapter, the State Government shall appoint or authorise such officer or authority to carry out inspection or search any vessel while plying within inland waters or such other premises on land within the respective jurisdiction so allotted.
- (2) The officer appointed or authorised by the State Government under the Act or the rules made thereunder shall inspect the vessel or the cargo by serving notice to the service user or service provider.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), in case of an emergency or in the event of any information received with respect of prohibited cargo, dangerous goods or dangerous cargo that are carried or transported, not in compliance with the provisions of the Act or this rule; the inspector shall board such mechanically propelled inland vessel, or any vessel while in the inland waters or such premises on land without any notice served prior to his inspection or visit:

Provided any inspection carried out shall be reported to the Designated Authority with relevant information or such other reason that led to inspection under sub-rule (2).

- (4) The inspectors appointed under the provisions of the Act or the rules made thereunder shall undergo periodical training and assessment, with respect to the functions assigned to them.
- **31.** Removal, storage and sale of goods or cargo found carried or transported in contravention. (1) The officer appointed or authorised for the purpose of this Chapter may remove, or cause to be removed, any goods or cargo carried, loaded or stored in any mechanically propelled inland vessel plying within inland water limits, which is found to be carried, loaded or stored in contravention of the provisions of the Act or the rules made thereunder.
- (2) Any goods or cargo removed under sub-rule (1) shall be stored in warehouses or such facilities depending upon nature and characteristics of such dangerous goods or dangerous cargo, ensuring safety and security of such goods or cargo and that of human life and environment.
- (3) The owner or person responsible for carrying, loading or storing of dangerous goods or dangerous cargo shall be liable to pay the expenses incurred for the removal and storage charges of such dangerous goods or dangerous cargo.
- (4) If the owner or any person responsible for carrying, loading or storing, neglects to pay the expenses incurred in the removal thereof within one week after demand, the owner of the vessel shall be notified for a second time and after the lapse of one week from the issuance of second notice, if the demanded amount remains unpaid, then the cargo so removed shall be sold by public auction and the authorised or appointed officer may retain all the expenses of such removal, storage and sale, out of the proceeds of the sale.
- (5) If the dangerous goods or dangerous cargo so recovered by the appointed or authorised officer remains unsold, such cargo shall be kept and deposited in such manner as the State Government may direct from time to time and the State Governments may, recover the expenses of maintaining the same, together with the expenses of sale, or maintaining the part or material remaining unsold.
- (6) The expense and the additional amount incurred by the authorised officer or such other officer, shall be recovered out of the sale proceeds of the cargo removed from any mechanically propelled inland vessels, and the balance, if any shall be paid to the person entitled to the recovered cargo, or, if no such person appears and claims the balance; such balance amount shall be held in deposit for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership of cargo, thereto.
- (7) No claim beyond six months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be rejected by any authorised or appointed officer.
- (8) After the period of six months, the unclaimed amount so deposited under sub-rule shall be transferred to the Development Fund constituted under section 86 of the Act.
- (9) Where the sale proceeds of the vessel or cargo are insufficient to meet the expenses and the additional expenses incurred; the owner or operator of the vessel shall be liable to pay the deficiency to the authorised or appointed officer upon demand; and if the deficiency remains unpaid, within one month from the date of such demand; the authorised or appointed officer may recover the deficiency from such owner or operator of vessel or cargo or both, as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner or operator of vessel or cargo or both.
- **32.** Confiscation and custody of prohibited cargo or goods. (1) The officer appointed or authorized for the purpose of this Chapter may remove, or cause to be removed and confiscate any cargo or goods; which are suspected to fall within the list of prohibited goods or cargo and are found to be carried, loaded or stored in any mechanically propelled inland vessel plying within inland water limits.

- (2) If the authorised officer has reason to believe that the levels of carriage and presence of prohibited cargo are such as to cause or threat to cause imminent danger to life or environment, the vessel or vessels involved in wrongful act, shall be detained and removed to a safe wharf or jetty or such other place, depending on proximity and safety, for investigation, and for minimising and containment of apprehended dangers.
- (3) The owner or person responsible for carrying, loading or storing of prohibited cargo or goods shall be liable to pay the actual expenses incurred for the removal and storage charges of such cargo and vessel:

Provided that the service provider shall not be held liable for the consequences arising from the acts committed by the service user in contravention to this rule.

- (4) The prohibited cargo or goods seized or confiscated under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be destroyed at the earliest in safe conditions and at facilities, specifically designated by the respective Designated Authority.
- (5) If the owner or any person responsible for carrying, loading or storing, neglects to pay the actual expenses incurred in the removal, storage, detention or disposal thereof, within one week after demand, such person shall be notified for a second time; and if after the lapse of one week from the issuance of second notice, the amount so demanded remains unpaid, the vessel so detained shall be sold by public auction and the appointed or the authorised officer may retain all the expenses of such removal, storage, detention or disposal, out of the sale proceeds.
- (6) The expense and the additional amount shall be payable to the authorised officer or such other officer, out of the sale proceeds of the vessel detained from any mechanically propelled inland vessels, and the balance shall be paid to the person entitled to the vessel detained, or, if no such person appears and claims the balance; such balance amount for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership of vessel thereto.
- (7) No claim beyond twelve months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be rejected by authorised and appointed officer.
- (8) After the lapse of twelve months as provided in sub-rule (7), the unclaimed or residual amount recovered from the sale proceeds shall be deposited with the Designated Authority, and such fund, as it may deem fit to the respective State Government and thereafter the same shall be transferred to the fund constituted under section 86 or section 96 of the Act, as the case may be.
- (9) Where the sale proceeds of the vessel are found insufficient to meet the expenses and additional expenses incurred; the owner of the vessel found responsible under this rule shall be liable to pay the deficient amount to the authorised or appointed officer, upon demand; and if such amount remains unpaid, within one month from the date of such demand, such amount shall be recoverable as if as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of vessel.
- (10) Notwithstanding anything contained under this rule, if the responsibility of delivering the prohibited goods or cargo that are found to be carried, loaded or stored on any non-mechanically propelled inland vessel; lies on the owner of such goods or cargo, such person shall be fully liable to meet the expenses and additional expenses incurred for removal, storage, detention or disposal of such goods or cargo and such expenses shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of cargo:

Provided that in the event if both the owner or operator of the vessel and prohibited goods or cargo are found liable for carrying, loading or storing of such goods or cargo; then such persons shall be jointly and severally liable under the Act for committing the offences and shall meet the expenses and additional expenses incurred removal, storage, detention or disposal of such goods or cargo, and such expenses shall be recoverable as if it were an arrear of land revenue and such arrear shall be recoverable from the personal assets of such owner of vessel or cargo.

- (11) Any person who acts in contravention with any of the situations in sub-section (1) shall be punishable under sub-section 3 of section 87 of the Act.
- **33. Directions by competent authority.** The Competent Authority shall provide directions as to the safe custody and disposal of dangerous and prohibited cargo or goods as may be removed from any mechanically propelled vessel found within the inland waters.
- **34.** Cancellation and suspension of certificate or approval.— In the event of investigation or inquiry initiated against any service provider for non-compliance with the provisions of this Chapter, the State Government may suspend or cancel any certificate or approval issued under the provisions of the Act.
- **35. Obligation to not commit unlawful acts.** Unless specifically exempted under the Act; any or all of the following acts are hereby declared unlawful and the service providers, service users or any other persons directly or indirectly involved in operation of vessels or cargo or passenger terminal shall at all times comply with their respective obligations mentioned in this Chapter-

- (a) illegal opening of inland waterway ports or landing stages; embarking or disembarking passengers, loading or unloading cargo at places that are not prescribed;
- (b) destroying inland waterway navigation works;
- (c) erecting illegal obstructions to impede inland waterway navigation;
- (d) illegal building of houses, tents, stalls or other works on inland waterways in violation of the protection of inland waterway infrastructures;
- (e) loading of vessels with passengers and cargo, beyond the limits prescribed or permitted under the Act; i.e., overloading of vessels;
- (f) dumping soil, rocks, sand, gravel or other waste substances and exploiting minerals within the areas of channels and channel protection corridors;
- (g) putting fixed fishing gear, means of fishing or rearing aquatic resources in channels designated for inland navigation;
- (h) putting out inland vessels that do not meet safety and environment protection requirements and also fail to meet operating conditions;
- (i) escaping after causing accidents in order to avoid responsibility, infringing upon human life or property when vessels are in distress;

Explanation.- For the purpose of this clause, leaving from the site of the accident to ensure safety of the vessel, crew or her passengers, shall not cause any unlawful act;

- (j) taking advantage of accidents to cause chaos, hindering the handling of accidents;
- (k) breaching the signal on wave, causing restriction or using other banned signals;
- (l) plying beyond the limits of inland waters, unless so permitted by the authority;
- (m) plying without applicable endorsement or sanction beyond the permitted area of voyage;
- (n) organising illegal races or participating in illegal races of vessels on inland waterways;
- (o) committing or permitting the commission of acts of violation and in contravention to the provisions of the Act; and
- (p) other acts as may be notified by State Government by publication in Official Gazette.
- (2) Any person who acts in contravention to all or any of the situations in sub-rule (1) shall be punishable under sub-section (3) of section 87 of the Act.

CHAPTER V - RULES ON WRECK AND SALVAGE

- **36. Obligation to report.** Any person who finds or takes possession of a wreck located within the limits of jurisdiction of any receiver of wreck appointed under sub-section (1) of section 58 of the Act or bring any such wreck within such limits, shall make a report in writing to such receiver of wreck in Form No. 3 appended to these rules.
- **37. Information by receiver.** Upon receipt of information under rule 36 the receiver of wreck shall communicate such information to the designated authority or such other authorities, as may be appointed or authorised by the respective State Governments; and if the information pertains to any event of vessel being wrecked, stranded or being in distress in the National Waterways, the designated authority shall communicate the information to the competent authority or such other officer, as may be appointed by the Central Governmen:

Provided that, where the Central Government has by direction or order delegated its powers to administer wreck in the National Waterways to any State Government, the receiver of wreck shall inform the designated authority or such other authorities, as may be appointed or authorised by such State Governments.

38. Possession of wreck by receiver.— When a receiver of wreck, receives reliable information that subsequent to a vessel becoming a wreck, is sunk or stranded in inland waters within his respective jurisdiction and is abandoned by its owner, such receiver shall proceed to the location of the wreck and drop a lead line over such vessel and prepare a declaration that the possession of the wreck is taken over by the receiver of the wreck:

Provided that, if it is found as not practicable to take physical possession of the wreck, the receiver of wreck shall make a declaration and record in such declaration the reasons for not being able to take the physical possession.

- **39. Duties of receivers of wreck.** The receiver of wreck in taking possession of the wreck shall-
 - (a) if the wreck is of an inland vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered under the Act, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the designated authority, in whose jurisdiction the vessel is found to be registered;
 - (b) if the wreck is of an inland vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered in a foreign country, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the competent authority or such other authority as may be appointed by the Central Government under section 82 of the Act or the rule made thereunder;
 - (c) if the wreck is of any vessel or parts or property or cargo of such vessel, registered under the Merchant Shipping Act, 1958 or any other law in force in India, send the information to the owners of the vessel in writing with intimation to the respective Principal Officer of the Mercantile Marine Department or such other authority, appointed as the registering authority under such laws;
 - (d) if the vessel, property, part or cargo or ownership; which has caused the wreck, is un-identifiable or not traceable, the receiver of wreck shall record the reasons thereof and shall send information of the wreck to the designated authority or such other officers appointed by the respective State Governments;
 - (e) as provided in clause (d), if the whereabouts of the owner or the vessel is unidentifiable or not traceable, the receiver of wreck shall cause such vessel or property or part to be raised, removed, blown up or otherwise destroyed as the circumstances may warrant;
 - (f) the information provided by the receiver of wreck to the authorities concerned shall include details, such as the extent of danger to human life, obstruction to safe navigation, probabilities of environmental pollution and the like, if any; and shall be submitted in Form No. 4 appended to these rules.
 - (g) the receiver of wrecks or any officer appointed or authorised thereof, shall record the events of finding, marking, recovery or disposal of wrecks in the official register maintained and shall send a report to the respective State Government; and
 - (h) if any property recovered by a receiver of wreck remains unclaimed or the person claiming it fails to pay reasonable expenses incurred for preserving the wreck and an additional amount of twenty-five per cent. of the amount of such expenses; such vessel or property or part may be put to sale by public auction-
 - (i) immediately, if the property is of perishable nature;
 - (ii) if it is not of a perishable nature, at any time not less than two months, after the recovery thereof.
- **40. Obstruction to navigation.** (1) The receiver of wreck may remove, or cause to be removed, any timber, raft or other property, floating or being in any part of the inland water, which, in his opinion, obstructs or impedes the free navigation thereof or the lawful use of any landing place or embarking or part thereof.
- (2) If the owner of any such timber, raft or other property or the person, who has caused any such obstruction, impediment or public nuisance, neglects to pay the reasonable expenses incurred in the removal thereof, within thirty days after demand or in such other manner as the State Government may, by general or special order direct, the receiver of wreck or such other officer may cause such timber, raft or other thing or the materials of any public nuisance so removed, or so much thereof as may be necessary, to be sold by public auction and may retain all the expenses of such removal and sale out of the proceeds of the sale.
- **41. Unsold property and sale proceeds.** (1) If the property so recovered by a receiver of wreck remains unsold, such property shall be kept and deposited in such manner as the State Government directs, and may, if necessary, from time to time, realise the expenses of keeping the same, together with the expenses of sale, or further sale of so much of the thing or materials remaining unsold.
- (2) The expenses and the additional amount shall be payable to the receiver of wreck or such other officer, out of the sale proceeds of the property so recovered from inland waters, and the balance shall be paid to the person entitled to the property recovered, or, if no such person appears and claims the balance, shall be held in deposit for payment, without interest, to the person thereafter establishing his right of ownership thereto.
- (3) No claim beyond thirty six months from the date of the sale shall be entertained and the same shall be dismissed by the receiver of wreck or such other officer.
- (4) After the period of thirty six months, the unclaimed amount so deposited under sub-rule (1) shall be transferred to the common fund created under the provisions of the Act.
- (5) Where the sale proceeds of the property are not sufficient to meet the expenses and the additional amount receivable; the owner of the vessel at the time the vessel was wrecked, stranded or sunk shall be liable to pay the

deficiency to the receiver of wreck or such other officer on demand, and if the deficiency be not paid within one month of such demand, receiver of wreck or such other officer, may recover the deficiency from such owner as if it were an arrear of land revenue.

(6) Notwithstanding anything contained herein, liability of persons entitled to limit liability under the Act shall not exceed the limits as prescribed by the Central Government.

42. Protecting the wreck.— (1) No person shall. —

- without the leave of the master board or attempt to board any vessel which is wrecked, stranded or in distress
 as aforesaid, unless the person is, or acts by command or order in writing issued by, the receiver of
 wreck; or
- b) impede or hinder or attempt in any way to impede or hinder the saving of any vessel stranded or in danger of being stranded or otherwise in distress in the inland waters or of any part of the cargo or equipment of the vessel, or of any wreck; or
- c) secrete any wreck or deface or obliterate any marks thereon; or
- d) wrongfully carry away or remove any part of a vessel stranded or in danger of being stranded or otherwise in distress, in the inland waters, or any part of the cargo or equipment of the vessel or any wreck.
- (2) Where a receiver of wreck suspects or receives information that the wreck is secreted or is in the possession of some person, who concealed is not the owner thereof or that any wreck is otherwise improperly dealt with, he may apply to the Judicial Magistrate of the First Class or Metropolitan Magistrate, who has jurisdiction over the matter, for a search warrant and that Magistrate may grant such warrant and the receiver of wreck by virtue thereof may enter any house or other place and also any vessel and search for seize and detain any such wreck `found.
- **43. Fouling of Government moorings.** (1) If any vessel hooks or gets fouled in any of the buoys or moorings laid down by or by the authority of the State Government in any part of inland water, the master or person in charge of such vessel shall not, nor shall any other person, except in the case of emergency, lift the buoy or mooring for the purpose of unhooking or getting clear from the same without permission in writing from the receiver of wreck or any other officer appointed or authorised in this behalf.
- (2) The receiver of wreck or any other officer appointed or authorised in this behalf immediately on receiving information of such possibility of accident or accident, shall issue permission in writing and shall assist the clearing of such vessel, the master or person in charge of the vessel shall, on demand, pay such reasonable expenses that are incurred.
- **44. Procedure for the sale of wreck.** (1) A receiver of wreck shall not sell any wreck otherwise than by public auction and every such sale shall be made on, as is where is basis with purchaser assuming full responsibility for any taxes payable to Government or port authorities and for encumbrance on the wreck.
- (2) A notice for sale of a wreck shall be published not less than fourteen days in advance of the appointed date of sale, in three consecutive issues of at least two daily newspapers having a wide circulation and such notice shall include—
 - (a) the description of the wreck under sale, its site and other known details, if any;
 - (b) the percentage of the auction price that shall have to be paid as down-payment immediately after the conclusion of the auction;
 - (c) the period within which the balance amount shall be payable by the successful bidder;
 - (d) any other details as may be deemed necessary depending upon the nature of the wreck being sold and the circumstances under which it is being sold;
 - (e) a provision reserving right in the receiver to reject highest bid or to postpone or cancel the sale without assigning any reason there for and
 - (f) a provision to the effect that amount of down-payment referred to in clause (b) shall be liable to be forfeited, if the successful bidder fails to effect full and final payment of the balance amount, within the period stipulated as per clause (c).
- (3) Where a receiver does not accept highest bid or postpones or cancels any auction he shall record in writing the reasons therefore and make a report to the Designated Authority or such other officer as may be appointed by the State Government.
- (4) Where, any auction is frustrated by reason of rejecting the highest bid or cancelling the option by the receiver of wreck or by reason of failure on the part of the highest bidder to effect full and final payment of the price within the stipulated period, the auction process for sale of the wreck shall be initiated afresh.

- **45. Wreck spread over two or more jurisdiction.** When a part of any wreck is washed or brought ashore within the jurisdiction of one receiver and the remaining part thereof is so washed or brought ashore in the jurisdiction of another receiver or receivers of wreck, each of such receivers shall act independently of each other.
- **46. Wreck delivered in the jurisdiction of another receiver.** When a wreck found in the jurisdiction of any receiver of wreck is delivered to any other receiver, the latter shall immediately report the matter to the former; and the disposal of such wreck shall be done by the receiver to whom it is delivered in the like manner, as if it was found in his jurisdiction.
- **47. Wrecks in National Waterways.** For the purposes of administration of events of vessel being wrecked, stranded or in distress, occurring within the National Waterways, the Central Government may by direction or order delegate the powers conferred under the Act to State Governments, within the jurisdiction of which the National Waterways passes by and where such vessel is wrecked, stranded or being in distress is located.
- **48. Extending the application.** The Central Government may by notification in the Official Gazette, extend the application of any other law pertaining to administration of wreck, stranding of vessels or vessels being in distress in force in India to the inland vessels plying within the inland waters.
- **49. Salvage and rights of salvors.** (1) Owner of any mechanically propelled inland vessel in distress or master or any other person duly authorised by the owner in this behalf may enter into an agreement with any person for rendering salvage services to the vessel, which is in distress and any such agreement may provide for—
 - (a) the amount payable to the salvor in the event of successful completion of the venture;
 - (b) the amount payable to the salvor in the event of partial success of the venture;
 - (c) the rights and responsibilities of the parties to the contract including the right of salvor for remuneration and remedies for its recovery;
 - (d) the manner in which any dispute arising out of the agreement shall be settled; and
 - (e) any other matter of particular importance or relevance to the subject matter of the agreement.
- (2) Where services are rendered not by virtue of any agreement as provided under sub-rule (1) above,
 - (a) wholly or in part within the inland water limit in saving life from any vessel; or
 - (b) in assisting a vessel or saving the cargo or equipment of a vessel which is wrecked, stranded or in distress at any place in the inland water limits; or
 - (c) by any person other than the receiver of wreck in saving any wreck;

the owner of the vessel, cargo, equipment or wreck shall pay the salvor, a reasonable sum for the salvage as determined by the receiver of wreck or any officer appointed or authorised to act as valuators for the said purpose.

- (3) Salvage in respect of the preservation of life when payable by the owner of the vessel shall be paid in priority to all other claims for salvage.
- **50. Determination of amount due as salvage.** (1) Where there exists an express agreement between the owner and salvor, the amount of salvage due to any person shall be determined having regard to the following considerations, namely:—
 - (a) nature and degree of danger to which human life or property saved was exposed;
 - (b) aggregate value of the property saved;
 - (c) sale proceeds of salved property, where such property was sold;
 - (d) nature and degree of risk incurred by salvor;
 - (e) value of salvor's property engaged in salvage service and, nature and degree of danger to which it was exposed;
 - (f) responsibilities incurred in performance of salvage service such as risk to insurance, liability to passengers or cargo or both through deviation or delay
 - (g) loss incurred in performance of salvage service such as detention, loss of profitable trade, damage suffered by vessel, its equipment or gear;
 - (h) expenses properly incurred by salvor in furtherance of salvage service;

- (i) expenses incurred by salvor towards loss of or injury to life or damage to property arising out of salvage service;
- (j) skill shown by salvor in rendering service; and
- (k) time spent and the labour involved in rendering salvage service.
- (2) Where clause (k) of sub-rule (1) is the only criterion on which salvage claim is based, no salvage shall be payable.
- **51. Dispute of determination of amount payable as salvage.** (1) Any dispute arising with respect to the determination of amount payable or determined amount pending or due payment under this chapter shall be determined upon application made by either of the disputing parties.—
 - (a) to Judicial Magistrate of the First Class or a Metropolitan Magistrate, as the case may be, where the amount claimed does not exceed ten lakh rupees;
 - (b) to the District Court where the amount claimed exceeds ten lakh rupees.
- (2) Where there is dispute as to the persons who are entitled to the salvage amount under this rule, the Judicial Magistrate of the first class or the Metropolitan Magistrate or the District Court, as the case may be, shall decide the dispute and if there are more persons than one entitled to such amount, such Magistrate or the District Court shall adjudicate and apportion the amount thereof among such persons.
- (3) The costs of and incidental to all proceedings before a Judicial Magistrate of the first class or a Metropolitan Magistrate or the District Court under this rule shall be in the discretion of such Magistrate or the District Court, who shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the aforementioned purpose.
- **52. Appointment of valuers.** (1) For the purposes of determining the value of any property salved or for valuating any considerations made in determining the Amount of salvage; the receiver or the court may appoint a valuer from a panel of valuers, which shall be provided by the designated authority, on request.
 - (2) The receiver shall keep on record the valuer's report and give attested copies thereof to the owner and salvor.
 - (3) The valuers shall be paid of such charges as the receiver or Court may consider reasonable and such charges shall be a charge on the expense account of salvage:

Provided that, where a valuer is appointed at the request of either the owner or the salvor without the consent of the other party, the charges shall be paid by the party at whose request the valuer was appointed.

- **53. Salvage Award.** (1) No salvage award shall be made.
 - (a) in any case where the property or sale proceeds thereof, are claimed by the owner or his duly authorised agent or assignee, until the title of the claimant to the said property or sale proceeds thereof is established:
 - (b) in any case where the property is not claimed by its owner or his duly authorised agent or assigned, until the said property is sold; and
 - (c) in any case where either party has applied for the appointment of valuer, until the valuer's charges are paid.
- (2) Where the receiver has made a salvage award, he shall withhold the delivery of the wreck to the owner until the owner obtains a release from the salvor in respect of salvage due to him under the said award.
- (3) Where the receiver has disposed of any wreck, he shall settle the salvor's claim in accordance with the Award from within the sale proceeds of the wreck and obtain a receipt from the salvor in token of his having received the amount in full and final settlement of his claim, before effecting payment of balance sale proceeds to the owner.
- **54. Powers to issue orders and directions.** For the purposes of effective administration of the rules, the State Governments shall by direction or order provide for the following
 - (a) delivery of wreck to the rightful owner;
 - (b) formalities when buoys found adrift or ashore;
 - (c) procedures involved in salvage;
 - (d) procedures on services rendered to vessels stranded or otherwise in distress;
 - (e) receipts and expenditures;
 - (f) fees;

- (g) register book; and
- (h) such other procedures and processes as may deem fit by the respective State Governments, which are not in conflict with the Act or the rules made thereunder.

CHAPTER VI – RULES ON TRADE PERMISSION AND ENDORSEMENT OF CERTIFICATES OF FOREIGN VESSELS

- **55. Procedures and Terms.** By virtue of powers conferred under section 82 of the Act and subject to the scope, application and such other terms and conditions agreed between the Central Government with any other country pertaining to permission provided to foreign vessels to be employed for inland navigation in India and waivers and exemptions, if any, provided by the Central Government; the foreign vessel intended to be employed in the inland waters of India shall.
 - (a) make an application to such authority as may be authorised under this rule; for the permission to ply within the inland waters of India through the owner or operator or ay authorised representative of such owner or operator;
 - (b) the foreign vessel shall hold certificates equivalent to those specified under Chapters IV, V and VI of the Act;
 - (c) in case of certificate of survey or equivalent certificate, such foreign vessels shall comply with the requirements in compliance with Chapter IV of the Act and an endorsement regarding compliance shall be specifically be obtained from the designated authorities, in whose jurisdiction such vessels are intended to be employed; and unless specified otherwise by an order or direction, in the event of exclusive employment through National Waterways, similar endorsement to be obtained from the competent authority;
 - (d) the standards of manning as provided under Chapter VI of the Act and the rules made thereunder shall be complied with by the foreign vessels intended to be employed within the inland waters;
 - (e) in case, if the foreign vessels intended to be employed falls within the category of 'special category vessels', such vessels shall comply with Chapter VII of the Act and the rules made thereunder;
 - (f) the foreign vessel shall possess certificate equivalent to the certificate for prevention of pollution mandated under Chapter IX of the Act and the rules made thereunder;
 - (g) shall follow the rules of the road prescribed under the Act; and
 - (h) such other conditions as may be notified by the Central Government from time to time.
- **56. Powers to exempt foreign vessels. S**ubject to section 112 of the Act, the Central Government may provide for exemptions or relaxations to the any class or category of foreign vessels from the requirements of the Act or the rules are made thereunder.
- **57. Issuance of certificate of trade permission.** The trade permission granted under rule 55 shall be evidenced by a certificate or such other document, which shall be issued by the respective authorities in compliance with the Act and the rules are made thereunder.
- **58. Pre-requisite compliance with additional terms.** The permission provided under rule 55 shall, among others, specify additional terms and conditions such as the requirements of vessel classification; the period and validity of the permission; extend or area within which the foreign vessels are permitted to be used; intended employment or purpose of the vessel; financial undertaking or guarantee requirements and the like; that are to be complied with by the foreign vessel as a condition pre-requisite for issuance of trade permissions.
- **59. Duty to surrender.** Upon completion of intended employment or purpose of foreign vessels, permitted to ply within the inland waters of India, by virtue of expiry of permission or termination, whichever earlier; the document referring to the permission shall be surrendered or submitted to the authority, which has issued such permission and such authority shall endorse the said document certifying the permission as cancelled.
- **Renewal.** Upon application for renewal of permission being received from the applicants, the respective authorities under rule 55 may renew the permission for a period of six months.
- **61. Power to refuse permission.** Notwithstanding anything contained herein, the respective authorities, who have received the application under rule 55 or rule 60, may refuse granting permission for foreign vessels and the reasons for such refusal shall be recorded in writing.
- **62. Fees and additional fee.** The respective authorities under rule 55 may charge such fees, as may be notified by the Central Government or the State Governments, as the case may be, by an order or direction issued from time to time.

- **Equal treatment.** (1) The terms and conditions, subject to which permissions are given to foreign vessels under rule 55 or renewed under rule 60, shall not be more favourable than those afforded to similar class, type or category of inland vessels, registered, recognised or identified under the Act, which the Indian inland vessels are required to comply with.
- (2) The fees, additional fees, charges and penalties, as prescribed under the Act and the rules made thereunder, which are applicable to Indian inland vessels, shall be applicable to foreign vessels permitted to ply within the inland waters of India.

CHAPTER VII – GENERAL RULES

- **Protection and preservation of environment.** By virtue of powers conferred under section 98 of the Act, for the purposes of protecting and preserving biodiversity, aquatic life and environment; and to minimise the damage caused by navigation of inland vessels; all inland vessels passing through areas notified as ecologically sensitive areas and protected areas shall comply with the applicable norms and standards, as prescribed by the Central Government under Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) and such other governing laws in force in India.
- **65. Offences under these rules.** Any person acted in contravention to these rules, shall be punishable under the provisions of sub-section (3) of section 87 of the act.
- **66. Fees and additional fees prescribed under the Act.** (1) For the purposes Section 89 of the Act, the fee or additional fee prescribed by the respective State Governments, shall be subject to the approval by Central Government.
- (2) Where it is not practical to determine and fix the fees or additional fees, the State Governments may by recording the reasons thereof, notify by direction or order, the categorisation and classification of services, along with such fees or additional fees, as may be applicable from time to time.

SCHEDULE

LIMITS OF LIABILITY

[see rule 22]

GENERAL LIMITS

- (a) In respect of claims for loss of life or personal injury on any distinct occasion
- (i.) For the loss of life, ten lakh rupees per person
- (ii.) For the permanent disability, eleven lakh rupees per person.

Note: The limit of liability for the death and disability compensation shall be over and above the cost of the treatment of the sick or injured person.

The determination of the disability shall be in accordance with the Employees Compensation Act, 1923.

- (b) In respect of claims arising on any distinct occasion for loss of life or personal injury to passengers on an Inland vessel —
- i. For the loss of life, an amount of ten lakh rupees per passenger.
- ii. For the permanent disability, an additional amount of 10% per passenger.

Note: The limit of liability for the death and disability compensation shall be over and above the cost of the treatment of the sick or injured person.

The determination of the disability shall be in accordance with the Employees Compensation Act, 1923.

(c) In respect of any other claims

For vessels below 500 GT- Four crore rupees

For vessels from 500 GT to less than 3000 GT - eight crore rupees

For vessels of 3000 GT and upto $6000\ GT$ – twelve crore rupees.

Form No. 1

COVER NOTE

[see rule 5 (1)]

- 1. Vessel identification number or marks, and description of the vessels identity or nature including
- 2. Nature, type or class of insurance
- 3. Mark of the vessel
- 4. Registration number
- 5. Type of vessel
- 6. Eligibility to ply in any particular area [Zone 1 / Zone 2 / Zone 3]
- 7. Name and address of the insured/owner(s).
- 8. Details of ownership [Registered owners or owners or Joint ownership or Authority or Describing shares]
- 9. Effective date and time of commencement of insurance for the purpose of this Act.
- 10. Date of expiry of insurance.

This is to certify that this Cover note is issued in accordance with the Inland Vessels Act [2021] and the Rules made thereunder.

Further, the insured is hereby indemnified against the following risks —

1.

2.

This document shall remain valid till the Master policy is issued or thirty days, whichever earlier, after which this document is terminated automatically.

Authorised Signatory

Date of Issue

Form No. 2

CERTIFICATE OF INSURANCE

[see rule 6 (2)]

- 1. Name and Address of the Insurer.
- 2. Name of the Vessel.
- 3. Vessel identification number or marks, and description of the vessels .
- 4. Identity or nature including.
- 5. Registration number.
- 6. Type of vessel.
- 7. Eligibility to ply in any particular area [Zone 1 / Zone 2 / Zone 3].
- 8. Details ownership or registered ownership or Joint ownership or Authority or shares.
- 9. Name and address of the insured or owner(s).
- 10. Validity of Insurance or Time Period.
- 11. Effective date and time of commencement of insurance.
- 12. Date of expiry of insurance.
- 13. Sum or Liability insured with deductibles.
- 14. Conditions of coverage or Special conditions or Warranty.
- 15. Prohibitions.
- 16. Procedure to raise claim.
- 17. Contact information.
- 18. Dispute resolution.

Dated --/--/

Signed On Behalf Of

Date:

Place:

Form No. 3

REPORT BY ANY PERSON FINDING THE WRECK

[see rule 36 (1)]

1. Name and Address of the Informant: (a) In case of Company (name, address, official seal, etc.) (b) In case of Firm (name, address, official number etc.) 2. Designation of the informant: (details of director or partner) 3. Vessel Identification Number or Marks and Description of Vessel: 4. Name, official number, registration number and port of registry of vessel: (a) Inland vessel registered under the Act (b) Inland vessel registered in a foreign country (c) Vessel registered under the Merchant Shipping Act, 1958 5. Details of Registered Owner, Operator and Charterer of the Vessel: 6. Date of finding the vessel, parts, property or cargo: 7. Details of parts, property or cargo of vessel: 8. Name and details of the Receiver of wreck: 9. Place where the vessel, parts, property or cargo was found: Inland waters a. b. National waterways 10. Particulars of the vessel, parts, property or cargo found: 11. Description 12. Estimated value 13. Information of wreck passed by the Receiver of wreck to the authorities: 14. Designated authority or such other authority under the State Government. 15. Competent authority or such other authority under the Central Government. 16. Principal officer of the Mercantile Marine Departments 17. Information of wreck to be informed to the insurer or their agents: do hereby affirm to the details as mentioned above with regard to the wreck that took place on _____ at ____ for the purposes of Chapter X of the Inland Vessel Act, 2021 and the rules made thereunder.

Signature of Informant

Designation and Details of Informant/Company/Firm

Form No. 4

OBSTRUCTION TO NAVIGATION

[see rule 39 (6)]

1.

Name and address of informant:

2.	Name and port of registry of the vessel:
(a) Registered under the Act-
(b) Foreign Vessel-
(c)	Registered under the Merchant Shipping Act, 1958 or any other law in force-
3.	Particulars of obstruction:
(a) Nature and size of obstruction-
(b) Nature of danger to navigation-
(c)) Objects causing obstruction-
4. identi	Name and port of derelict or sunken wreck, if known, and if not known, any particulars, leading to its fication:
5.	Description of the wreckage and any marks:
6.	Date and time when the wreckage, wreck was last seen and date and time of report made, if any:
7.	If sunken wreck, the exact spot in which the vessel is lying:
8.	In case of floating wreckage, the place where last seen, and the direction in which drifting:
9.	Whether the derelict was boarded by the informant or any of his crew.
10.	Whether the vessel was broken:
11.	Whether the vessel was waterlogged:
12.	Whether vessel had capsized:
13.	Did the vessel be into collision:
14.	Nature and description of vessel cargo:
15.	Date of making this report:
16.	Date of informing the insurer or their agents:
I	(details of Receiver of wreck) do hereby affirm to the details as mentioned above with regard to
the w	reck that took place on at for the purposes of Chapter X of the Inland Vessel Act, 2021, and the made thereunder.
Date:	Signature of Receiver of Wreck
Place	: Designation and Details of Receiver of Wreck
	[F. No. IWT-11011/91/2021-IWT] SUNIL KUMAR SINGH, Adviser (Statistics)
	Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064